



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072026-274917
CG-DL-E-30072026-274917

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948

No. 212]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

खान मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2026

फा. सं. एम.1-4/1/2021-खान I.— केंद्रीय सरकार के खान मंत्रालय द्वारा केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड (सीजीपीबी) और उसकी बारह समितियों के पुनर्गठन के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 12.03.2009 के संकल्प सं. 4(2)97-एम.1 (यहां इसके बाद मुख्य संकल्प कहा जाएगा) तथा मूल संकल्प को संशोधित करने वाले उसके बाद के संकल्पों अर्थात् दिनांक 08.06.2009 के संकल्प सं. 4(2)97-एम.1, दिनांक 07.05.2013 के सं. 4(6)/2013-एम.1, दिनांक 10.12.2018 के सं. एम.1-4/1/2017-खान-I, दिनांक 17.05.2019 के सं. एम.1-4/1/2019-खान I और दिनांक 18.08.2023 के सं. एम.1-4/1/2021-खान I का अधिक्रमण करते हुए, निम्नलिखित नया संकल्प अपनाने का निर्णय लिया गया है, जो तत्काल प्रभाव से आदेशित होगा —

केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड (सीजीपीबी) की स्थापना भारत सरकार के दिनांक 27 जुलाई, 1966 के संकल्प के माध्यम से की गई थी। सीजीपीबी का गठन मुख्य रूप से देश में भूवैज्ञानिक मानचित्रण और खनिज पूर्वक्षण, गवेषण और दोहन कार्यकलापों का समन्वय करने के लिए किया गया था, जिसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) नोडल विभाग तथा राज्य भूविज्ञान एवं खनन विभाग और केंद्र सरकार के संस्थान भाग लेने वाले सदस्यों के रूप में शामिल थे। इसके अलावा, देश के विभिन्न भागों में खनिजों के लिए भूवैज्ञानिक जांच और गवेषण की विभिन्न स्कीमों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं तैयार करने के अलावा, बोर्ड को भूविज्ञान क्षेत्र में नीति और मानव संसाधन विकास इत्यादि पर व्यापक सिफारिशें करने का कार्य भी सौंपा गया। सीजीपीबी की गतिविधियों के पूरक के रूप में, राज्यों में भूविज्ञान कार्यकलापों का

समन्वय तथा सीजीपीबी और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए, राज्यों में राज्य भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड (एसजीपीबी) का गठन किया गया।

2. 1970 की सीजीपीबी की बैठक में, जीएसआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ-साथ राज्य सरकार के विभागों के विभिन्न चालू कार्यक्रमों की समीक्षा करने और सरकार के योजना उद्देश्यों के आधार पर नीति नियोजन और कार्यक्रम तैयार करने में सहायता करने हेतु बोर्ड के अंतर्गत विषय-आधारित समितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय लिया गया कि समितियां सीजीपीबी की प्रत्येक बैठक में उपयोग के लिए अपनी रिपोर्टें और सिफारिशें उपलब्ध कराएंगी। तदनुसार, 12 समितियों का गठन किया गया, जो 2002 तक कार्य करती रहीं, जब इन्हें सात विषय-आधारित समितियों में पुनर्गठित किया गया, और बाद में इन्हें 2009 में पुनः 12 समितियों में बहाल कर दिया गया। अब, भूविज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन और खनिज क्षेत्र में उभरते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, इन समितियों का पुनर्गठन कर भूविज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हुए 11 समितियों का गठन किया जाएगा।

3. 1966 से बोर्ड की 65 बैठकें हो चुकी हैं, और सीजीपीबी वार्षिक आधार पर देश के भूवैज्ञानिक कार्यक्रमों के समन्वय के लिए महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में उभरा है।

4. पिछले 60 वर्षों के दौरान, भूवैज्ञानिक ज्ञान में भारी वृद्धि हुई है, और पृथ्वी प्रणालियों का बेहतर ढंग से पता लगाने और समझने के लिए नई प्रौद्योगिकियां विकसित हुई हैं। कई प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रक्रियाओं के भूवैज्ञानिक आधारों की बहुत अधिक सराहना की जा रही है, और इस प्रकार, सीजीपीबी के समन्वय तंत्र के दायरे को व्यापक बनाने के लिए निम्नलिखित को शामिल करने की आवश्यकता है –

- बेसलाइन भूविज्ञान डेटा का सृजन, प्रबंधन और एकीकरण।
- महत्वपूर्ण खनिजों पर विशेष ध्यान देते हुए, खनिज, जीवाश्म ऊर्जा, भूतापीय आदि सहित प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन।
- खनिज लक्षण वर्णन और सज्जीकरण, खनिज सज्जीकरण, प्रसंस्करण और निष्कर्षण तकनीकों पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- भू-तकनीकी अध्ययन, प्राकृतिक, जैविक और रासायनिक भू-खतरों के साथ-साथ मौलिक भूविज्ञान सहित बहुविषयक भूविज्ञान।
- स्थानिक डेटा, भौगोलिक सूचना प्रणाली और एआई/एमएल/डीएल का उपयोग करने वाले उन्नत व्याख्यात्मक उपकरणों पर विशेष ध्यान देते हुए, डेटा प्रबंधन, अभिलेखागार और प्रसार सहित भू-सूचना विज्ञान।
- वैश्विक प्रौद्योगिकीय उन्नति (विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक) के नवाचार और अंतःक्षेप को बढ़ावा देना।
- भूवैज्ञानिक अध्ययनों, शिक्षा, अनुसंधान और जागरूकता प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय महत्व के भू-विरासत स्थलों और भू-अवशेषों की पहचान, संरक्षण, सुरक्षा और रखरखाव।
- प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग सहित सतत विकास से संबंधित मुद्दे।

5. राष्ट्रीय खनिज नीति 2008, राष्ट्रीय खनिज गवेषण नीति 2016, राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 और उसके बाद एमएमडीआर अधिनियम में हालिया संशोधन का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, सतत पद्धतियों को बढ़ावा देना, खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है; महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के गवेषण और विकास की आवश्यकता तथा खनिज गवेषण में प्रौद्योगिकीय प्रगति को अपनाने में सीजीपीबी तंत्र को नया रूप देने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है।

6. भूविज्ञान के अलावा भूभौतिकी और भू-रासायन विज्ञान जैसे भूविज्ञान के अन्य क्षेत्र, जो उप-सतही संरचना को समझने और गहराई में स्थित/छिपी नई खनिज संभावनाओं की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, को शामिल करने के लिए, केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड को 'केंद्रीय भूविज्ञान प्रोग्रामिंग बोर्ड (सीजीपीबी)' के रूप में पुनर्गठित करने और पुनः नामांकित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, व्यापक भागीदारी और सीजीपीबी के अंतर्गत प्रभावी निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए, यह माना गया कि केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त मंत्रालयों, विभागों, संगठनों

के प्रमुखों और अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) को शामिल करके हितधारक प्रतिनिधित्व का विस्तार करने की आवश्यकता है।

7. अतः, तत्काल प्रभाव से यह आदेश दिया जाता है कि केंद्रीय भूविज्ञान प्रोग्रामिंग बोर्ड का गठन निम्नानुसार किया जाएगा: -

- | | |
|---|--------------|
| (क) सचिव, खान मंत्रालय | - अध्यक्ष |
| (ख) महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण | - सदस्य |
| (ग) अपर सचिव, खान मंत्रालय | - सदस्य |
| (घ) संयुक्त सचिव (नीति), खान मंत्रालय | - सदस्य |
| (ङ) प्रतिनिधि (जिसका स्तर संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं हो) | - सदस्य (15) |
| (i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | |
| (ii) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | |
| (iii) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | |
| (iv) नागर विमानन मंत्रालय | |
| (v) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय | |
| (vi) कोयला मंत्रालय | |
| (vii) इस्पात मंत्रालय | |
| (viii) रक्षा मंत्रालय | |
| (ix) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय | |
| (x) विद्युत मंत्रालय | |
| (xi) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | |
| (xii) गृह मंत्रालय | |
| (xiii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | |
| (xiv) अंतरिक्ष विभाग | |
| (xv) परमाणु ऊर्जा विभाग | |
| (च) सलाहकार (खनिज), नीति आयोग | - सदस्य |
| (छ) केंद्रीय संगठनों के प्रमुख: - | - सदस्य (33) |
| (i) केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) | |
| (ii) केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) | |
| (iii) भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) | |
| (iv) मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल) | |
| (v) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) | |
| (vi) सीएसआईआर-केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) | |
| (vii) सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) | |
| (viii) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) | |
| (ix) एनएलसी इंडिया लिमिटेड | |
| (x) आईआईटी (आईएसएम) धनबाद | |

- (xi) राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई)
- (xii) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (डब्ल्यूआईएचजी)
- (xiii) हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)
- (xiv) तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी)
- (xv) केशवा देव मालवीय पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन संस्थान (केडीएमआईपीई)
- (xvi) परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी)
- (xvii) भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई)
- (xviii) भारतीय भूवैज्ञानिक सोसायटी
- (xix) भारतीय खनन, भूवैज्ञानिक एवं धातुकर्म संस्थान (एमजीएमआई इंडिया)
- (xx) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)
- (xxi) सीएसआईआर-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईआईआरआई)
- (xxii) राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी)
- (xxiii) राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र (एनसीपीओआर)
- (xxiv) सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (सीएसआईआर-एनआईओ)
- (xxv) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और अभिकल्प केंद्र (जेएनएआरडीडीसी)
- (xxvi) राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास (एनएमईडीटी)
- (xxvii) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)
- (xxviii) एनएमडीसी लिमिटेड
- (xxix) एमओआईएल लिमिटेड
- (xxx) सीएसआईआर-आईएमएमटी, भुवनेश्वर
- (xxxi) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)
- (xxxii) आईआईटी, बॉम्बे
- (xxxiii) आईआईटी, खड़गपुर

(ज) राज्य सरकारों के सचिव, खनन और भूविज्ञान/उद्योग/विभाग (निदेशक, खनन और भूविज्ञान स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे)-

- सदस्य

(झ) संगठनों से, उद्योग के प्रतिनिधि, अर्थात्: -

- सदस्य (13)

- (i) भारतीय खनिज उद्योग महासंघ (एफआईएमआई)
- (ii) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
- (iii) टाटा स्टील
- (iv) रंगटा माइन्स
- (v) जियोमैसूर सर्विसेज इंडिया प्रा. लिमिटेड
- (vi) हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल)
- (vii) जियोवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
- (viii) एमएमपीएल प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में माहेश्वरी माइनिंग प्रा. लिमिटेड)

- (ix) जेमकोकाटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
- (x) क्रिटिकल मिनरल ट्रेकर्स
- (xi) यूनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- (xii) माइनिंग टेक कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, अडानी ग्रुप
- (xiii) जियोमरीन सॉल्यूशंस प्रा. लि.

(ज) क्षेत्रीय अपर महानिदेशक, एडीजी, भूभौतिकी, मिशन मंथन और अमृत, बेंगलुरु; सदस्य
उप महानिदेशक और प्रमुख, एमएंडसीएस, आरएसएस, जीएसआईटीआई,
एनईएनआर.; उप महानिदेशक, एनसीईजीआर, मिशन मंथन, केंद्रीय मुख्यालय,
कोलकाता; सभी उप महानिदेशक, मिशन अमृत, एनसीआर मुख्यालय; डीडीजी, आईटी
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; उप महानिदेशक, अंतरराष्ट्रीय
मामले और क्यूरेटोरियल, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
(जीएसआई)

(ट) अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक, नीति समर्थन प्रणाली, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) - सदस्य सचिव

अध्यक्ष, भूविज्ञान से संबंधित किसी अन्य संगठन के एक विशिष्ट प्रतिनिधि को बोर्ड की बैठक में विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में या बोर्ड की सभी बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में भी नामित कर सकता है।

8. केंद्रीय भूविज्ञान प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक वर्ष में एक बार होगी और यह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

- (i) जीएसआई और अन्य हितहितधारकों के संबंध में भूविज्ञान कार्यकलाप की सामान्य कार्यनीतिक दिशा प्रदान करना और भूविज्ञान में नीतिगत मुद्दों पर खान मंत्रालय को सलाह देना।
- (ii) इस क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसियों के बीच प्रभावी कार्यक्रम समन्वय और बहु-विषयक/ बहु-संस्थागत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
- (iii) समन्वय योजना और निष्पादन के लिए केंद्रीय एजेंसियों और राज्य-स्तरीय संगठनों के बीच बेहतर विचार विमर्श को सक्षम करना।
- (iv) बेहतर निर्णय लेने, वर्धित दक्षता और बेहतर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए केंद्रीय, राज्य और निजी गवेषण एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना।
- (v) क्षेत्र के भीतर, विशेष रूप से राज्य स्तर पर, प्रशिक्षण, मानव संसाधन और अनुसंधान क्षमता का निर्माण करने में मदद करना और इष्टतम उपयोग के लिए क्षमता का समन्वय करना।
- (vi) भूवैज्ञानिक कार्यकलापों के लिए नए क्षेत्रों और नई प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और इन्हें अपनाने के लिए कार्यनीतियों पर सलाह देना।
- (vii) अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान सहित जीएसआई, आईबीएम और केंद्रीय, राज्य स्तरीय या अन्य एजेंसियों के बीच भूविज्ञान साझेदारी और सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर सलाह देना।
- (viii) डेटा साझा करने, परियोजना प्रबंधन और पारदर्शी निर्णय लेने के लिए भूविज्ञान में सूचना प्रौद्योगिकी/डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना; सभी हितधारकों के लिए भूवैज्ञानिक डेटा के प्रसार के लिए एनजीडीआर का बढ़ता उपयोग; बेहतर खनिज लक्ष्यीकरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) का एकीकरण।

क्रम संख्या (i) से (viii) तक की प्रत्येक मद के संबंध में, भविष्य के लिए सिफारिशों के साथ, स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट, बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) का वार्षिक कार्यसत्र कार्यक्रम सीजीपीबी की बैठक में

चर्चा के लिए रखा जाएगा। वार्षिक सीजीपीबी बैठक के बाद, बैठक के कार्यवाई योग्य बिंदुओं पर समय-समय पर अनुवर्ती समीक्षा (प्रत्येक 4 माह के बाद, दो बार) की जाएगी।

9. केंद्रीय भूविज्ञान प्रोग्रामिंग बोर्ड (सीजीपीबी) को विभिन्न उप-क्षेत्रों के लिए 11 समितियों द्वारा निम्नानुसार सहायता प्रदान की जाएगी: -

- i. I: लौह खनिज (लोहा, मैंगनीज और क्रोमाइट)
- ii. II: बहुमूल्य धातुएं, अलौह खनिज और औद्योगिक खनिज (बहुमूल्य धातुएं - स्वर्ण, हीरा, बहुमूल्य पत्थर; अलौह खनिज-आधार धातुएं (तांबा, सीसा, जस्ता) और बॉक्साइट; औद्योगिक खनिज- चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट, फेल्डस्पार, अभ्रक, बैराइट, अपवर्तक (कायनाइट, सिलिमेनाइट, पाइरोफिलाइट), मैग्नेसाइट, मिट्टी, फायर क्ले, बोलास्टोनाइट, वर्मीक्यूलाइट, जिओलाइट्स, गार्नेट, एस्वेस्टस, इल्मेनाइट, फ्लोराइट, स्टीटाइट, आयामी पत्थर, सिलिका रेत, जिप्सम)
- iii. III: महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज- खोज और विकास (बेरील, कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, ग्लोकोनाइट, ग्रेफाइट, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, निकल, नियोबियम, फॉस्फेट (यूरेनियम रहित), खनिज युक्त प्लेटिनम समूह के तत्व, पोटाश, दुर्लभ मृदा तत्व, रेनियम, सेलेनियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम)
- iv. IV: खनिज वर्गीकरण और सज्जीकरण
- v. V: ऊर्जा खनिज और संसाधन (कोयला, लिग्नाइट, भूतापीय, प्राकृतिक हाइड्रोजन और शेल गैस, आदि)
- vi. VI: अपतट सर्वेक्षण और खनिज गवेषण
- vii. VII: भूविज्ञान सर्वेक्षण और मानचित्रण (जमीनी और हवाई)
- viii. VIII: पूर्वोत्तर क्षेत्र का भूविज्ञान और खनिज संसाधन
- ix. IX: भू-खतरे और आपदा जोखिम प्रबंधन (भू-तकनीकी जांच, प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण भूविज्ञान, ध्रुवीय अध्ययन, उपसतह जल विज्ञान)
- x. X: भूविज्ञान अनुसंधान और नवाचार एवं भू-विरासत
- xi. XI: भू-आंकड़ा भंडार, भूविज्ञान में डिजिटल अवसंरचना और एआई

सीजीपीबी समितियों की संरचना और वार्ता बिंदु अनुलग्नक क में दिए गए हैं। समितियां संबंधित विषय के संबंध में केंद्रीय बोर्ड को सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी। सीजीपीबी (I-XI) की बैठकें आयोजित करने से पहले, राज्य भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड (एसजीपीबी) की बैठकें प्रति वर्ष राज्य स्तर पर राज्य डीजीएम/डीएमजी द्वारा आयोजित की जाएंगी। एसजीपीबी बैठकों की सिफारिशों पर सीजीपीबी (I-XI) की बैठकों के साथ-साथ केंद्रीय बोर्ड की वार्षिक बैठक में भी विचार किया जाएगा। स्वीकृत मदों को वार्षिक कार्यसत्र प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा जिन पर बैठक में चर्चा की जाएगी।

10. समिति, कार्यक्रम के कार्यकलाप की लगातार निगरानी करेगी और विशेष रूप से राष्ट्रीय खनिज नीति 2008, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति 2016, राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 और एमएमडीआर अधिनियम में हालिया संशोधनों से लाए गए निम्नलिखित जनादेशों को कार्यक्रम मोड के माध्यम से, बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सिफारिशें करेगी:

- (क) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), और राज्य खनन एवं भूविज्ञान निदेशालय को अत्याधुनिक स्तर तक उन्नत जनशक्ति, उपकरण और कौशल सेट के साथ सुदृढ़ किया जाएगा।" {एनएमपी 2008 का पैरा 2.2}

- (ख) देश की संपूर्ण भूवैज्ञानिक संभावनाओं का अन्वेषण करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश के समस्त भूवैज्ञानिक रूप से अनुकूल खनिज-धारी क्षेत्रों में क्षेत्रीय एवं विस्तृत अन्वेषण को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, जिनमें भूकंपीय 2D/3D व्याख्यात्मक प्रणालियाँ भी शामिल हैं, का उपयोग करते हुए समयबद्ध, व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं गहन तरीके से संचालित किया जाए। {एनएमपी 2019 का पैरा 4.1}
- (ग) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण देश के भूवैज्ञानिक मानचित्रण और क्षेत्रीय खनिज संसाधनों के आकलन के लिए प्रमुख एजेंसी है। यह इस कार्य में लगी अन्य सभी एजेंसियों के साथ परस्पर सहयोग से इन उद्देश्यों की ओर कार्रवाई-उन्मुख योजनाएं बनाने के लिए उत्तरदायी होगा। भूमि पर विस्तृत गवेषण, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, राज्य सरकारों के खनन एवं भूविज्ञान निदेशालय, विभिन्न केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के साथ-साथ निजी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। खनिजों का गवेषण करते समय, इन सरकारी एजेंसियों द्वारा संभावित स्रोतों, जिन्हें अन्यथा पता करना कठिन है, की व्यवस्थित जांच के माध्यम से, महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। {एनएमपी 2008 का पैरा 5.1, एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2021, 2023}
- (घ) "जबकि सरकारी एजेंसियां सर्वेक्षण और गवेषण के लिए उन्हें सौंपे गए कार्यों को करना जारी रखेंगी, निजी क्षेत्र को गवेषण कार्यकलापों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी एजेंसियां लोक निधियां व्यय करेंगी, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां निजी क्षेत्र के निवेश, अत्यधिक अनिश्चितताओं जैसे कारणों से नहीं आ रहे हैं। {एनएमपी 2019 का पैरा 4.2}
- (ङ) "खनिजों के पूर्वक्षण और गवेषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिस देश में बड़े संसाधनों के लिए भूवैज्ञानिक क्षमता होने के बावजूद बहुत कम संसाधन-सह-भंडार है। ऊर्जा महत्वपूर्ण खनिजों, उर्वरक खनिजों, बहुमूल्य धातुओं और पत्थरों, सामरिक खनिजों और अन्य गहराई में स्थित खनिजों के गवेषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिन्हें अन्यथा पता करना मुश्किल हैं और जिनके लिए देश मुख्य रूप से आयात पर निर्भर है। {एनएमपी 2019 का पैरा 4.3}
- (च) "अपतट क्षेत्रों में, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का अधिकतम संभव सीमा तक पता लगाया जाए और उसका दोहन किया जाए। एमओईएस और जीएसआई के बीच सहयोग को और अधिक संस्थागत बनाने की आवश्यकता है ताकि समयबद्ध ढांचे के भीतर इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इन संसाधनों के पूर्वक्षण, गवेषण, निष्कर्षण, खनन और प्रसंस्करण के लिए एकीकृत प्रणालियों को आवश्यक प्रौद्योगिकियों के विकास/अधिग्रहण के साथ तेजी से बढ़ाया जाएगा। {एनएमपी 2019 का पैरा 4.6 और पैरा 9.5}
- (छ) "निम्न श्रेणी और बहुत छोटे आकार की सामग्री को उपयोग में लाने के लिए सज्जीकरण और समेकन तकनीकों पर ध्यान दिया जाएगा। अयस्कों और अयस्क प्रसाधन उत्पादों के सज्जीकरण तथा खनिज और मौलिक विश्लेषण के लिए प्रक्रियाओं के विकास के लिए, भारतीय खान ब्यूरो की राष्ट्रीय खनिज प्रसंस्करण प्रयोगशालाओं सहित अनुसंधान संगठनों को सुदृढ़ किया जाएगा। इस कार्य में लगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सभी संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय होगा। संबंधित खनिजों और मूल्यवान धातुओं की अधिकतम आर्थिक प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रोत्साहन और प्रचार सहित अनुसंधान और विकास, उन्मुख होगा। अयस्क प्रसाधन और सज्जीकरण प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त शैक्षिक और प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित की जा सकती हैं {एनएमपी 2008 का पैरा 2.7 और एनएमपी 2019 का पैरा 9.3}
- (ज) "सेमी-कंडक्टर, फोटो-वोल्टाइक, लेजर, विशेष सेंसर, उच्च तापमान वाले नए सिरेमिक, हार्ड और उच्च तापमान वाली सामग्री, सुपरकंडक्टर, इंसुलेटर, बहुत पतली फिल्मों, कांच और तरल क्रिस्टल एवं धातु एवं खनिज फाइबर जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उच्च शुद्धता वाली सामग्रियों के उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल पर अनुसंधान किया जाएगा।" {एनएमपी 2019 का पैरा 9.6}
- (झ) "खनिज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में लगे विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय, तालमेल और अभिसरण को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ किया जाएगा। विचार-विमर्श की गति को तेज करने के लिए संस्थानों के बीच वैज्ञानिकों की अदला-बदली को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुसंधान निष्कर्षों को उपयोगकर्ताओं को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। इस कार्य में लगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सभी संगठनों के बीच सहयोग एवं समन्वय होगा।" {एनएमपी 2019 का पैरा 9.7}

- (ज) "खनिज संसाधनों, से सुसंपन्न देश के खनिज निष्कर्षण पर जोर दिया जाएगा ताकि घरेलू उद्योग की वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से पूरा किया जा सके, साथ ही ऐसे खनिजों के लिए बाहरी बाजारों की मांग को पूरा किया जा सके, ताकि घरेलू आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ाया जा सके। हालांकि मांग को पूरा करने के लिए प्राथमिक खनिज प्रमुख स्रोत बने रहेंगे, पुनर्चक्रण के माध्यम से धातु की पुनर्प्राप्ति के लिए प्रक्रियाओं को विकसित करके आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।" {एनएमपी 2019 का पैरा 6.1}
- (ट) "गवेषण और खनन वानिकी एवं पर्यावरणीय मुद्दों से निकटता से जुड़े हुए हैं। देश के खनिज संसाधनों/भंडारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन क्षेत्रों में है जो वन आवरण के अंतर्गत आते हैं। वैधानिक आवश्यकताओं, विशेष रूप से भूवैज्ञानिक रूप से जटिल निक्षेपों के अनुरूप होने के लिए गवेषण को सुगम बनाने हेतु सरल, पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध प्रक्रियाओं के साथ मंजूरी को सुव्यवस्थित किया जाएगा।" {एनएमपी 2019 का पैरा 4.5}
- (ठ) देश को भूवैज्ञानिकों, भूभौतिकीविदों, रसायनज्ञों, खनन इंजीनियरों आदि के रूप में अधिक जनशक्ति की आवश्यकता होगी। क्षेत्र, विशेष रूप से जीएसआई और आईबीएम की जनशक्ति की आवश्यकताओं की व्यापक समीक्षा का आकलन किया जाएगा। संगठनों को मध्यम और लंबी अवधि में इन जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा। {एनएमपी 2008 का पैरा 7.6}
- (ड) सरकार खुले प्रसार के लिए उच्चतम मानकों का पूर्व-प्रतिस्पर्धी आधारभूत भूविज्ञान डेटा निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। इस डेटा को लगातार अद्यतन किया जाएगा और अन्य अधिकार-क्षेत्रों के साथ बेंचमार्क किया जाएगा। {एनएमईपी 2016 का पैरा 4.1 (i)}
- (ढ) मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर गवेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार समय-समय पर निजी क्षेत्र के खोजकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त मॉडल तैयार करेगी। {एनएमईपी 2016 का पैरा 4.1 (vi)}
- (ण) सरकार गवेषण के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास के लिए वैज्ञानिक एवं अनुसंधान निकायों, विश्वविद्यालयों एवं उद्योग के साथ सहयोग करेगी। {एनएमईपी 2016 का पैरा 4.1 (vii)}
- (त) नीलामी योग्य खनिज संभावनाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें जीएसआई या अन्य एजेंसियों द्वारा तैयार खनिज गवेषण रिपोर्टों को शुरू करना होगा और जी3 या जी2 स्तर के गवेषण को पूरा करने के लिए उन पर कार्य करना होगा। राज्यों को अपने कर्मचारियों की गवेषण क्षमताओं का निर्माण करने की भी आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार को उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना होगा। राज्यों की क्षमता निर्माण को एनएमईटी द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। {एनएमईपी 2016 का पैरा 15.1}

11. केंद्रीय भूविज्ञान कार्यक्रम बोर्ड और प्रत्येक समिति के लिए एक समर्पित पूर्णकालिक सचिवालय होगा, जिसकी देखभाल जीएसआई द्वारा की जाएगी। निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, एनसीआर मुख्यालय, नई दिल्ली और निदेशक, पीएसएस, जीएसआई परियोजनाओं के बेहतर समन्वय और कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय भूविज्ञान कार्यक्रम बोर्ड की समिति की बैठकों में उपस्थित रहेंगे।

12. सर्वेक्षण, मानचित्रण, गवेषण और अन्य भूवैज्ञानिक कार्यकलापों के लिए राज्य स्तर की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समन्वित योजना को सुगम बनाने के लिए, और कार्यक्रमगत ढांचे में प्रशिक्षण, मानव संसाधन एवं तकनीकी क्षमता निर्माण हेतु राज्य स्तर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने में मदद करने के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार को समय पर राज्य भूवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य सरकार के भूवैज्ञानिक हित को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए, केंद्रीय भूविज्ञान कार्यक्रम बोर्ड की समिति की बैठकों के प्रारंभ से पहले बैठक आयोजित की जाएगी ताकि राज्य बोर्ड की सिफारिशों को केंद्रीय बोर्ड तथा उसकी समितियों के लिए प्राथमिक इनपुट तैयार करने में सक्षम बनाया जा सके। राज्य स्तरीय बोर्डों में जीएसआई और अन्य केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय हितधारकों एवं निजी एजेंसियों के स्थानीय प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, जिनकी राज्य स्तरीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम में रुचि है और उन्हें राज्य स्तर पर उन कार्यकलापों के लिए अनिवार्य बनाया जा सकता है जो प्रकृति और दायरे में केंद्रीय बोर्ड के समान हैं।

समितियों की संरचना और विचारार्थ विषय

समिति I: लौह खनिज

(लौह, मैंगनीज और क्रोमाइट)

अध्यक्ष: अपर महानिदेशक, जीएसआई, पूर्वी क्षेत्र (ईआर), कोलकाता

सदस्य सचिव: निदेशक, नीतिगत सहायता प्रणाली, जीएसआई, ईआर, कोलकाता

मुख्य उद्देश्य: लौह खनिजों (लौह, मैंगनीज और क्रोमाइट) के गवेषण हेतु कार्यनीति की निगरानी, प्रबंधन और तैयारी करना

सदस्य:

1. इस्पात मंत्रालय
2. निदेशक (तकनीकी), खान मंत्रालय
3. निदेशक (नीति), खान मंत्रालय
4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
5. डीएमजी, कर्नाटक सरकार
6. डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार
7. डीएमजी, गोवा सरकार
8. डीजीएम, राजस्थान सरकार
9. डीजीएम, महाराष्ट्र सरकार
10. एमआरडी, मध्य प्रदेश सरकार
11. डीजीएम, छत्तीसगढ़ सरकार
12. डीएमजी, झारखंड सरकार
13. डीजी, ओडिशा सरकार
14. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)
15. मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)
16. टाटा स्टील
17. राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास (एनएमडीडीटी)
18. उप महानिदेशक, लौह, बहुमूल्य और अन्य खनिज, मिशन अमृत, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली
19. उप महानिदेशक, लौह और आधार धातु, मिशन अमृत, जीएसआई (ईआर, सीआर, एसआर, डब्ल्यूआर)
20. उप महानिदेशक, मिशन अमृत, जीएसआई (एनईआर, एनआर)
21. निदेशक, पीएसएस-2, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; निदेशक, जीएसआई प्रशिक्षण संस्थान और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली

स्थायी आमंत्रितगण:

- i. एनएमडीसी लिमिटेड
- ii. ओडिशा खनन निगम लिमिटेड (ओएमसी)
- iii. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल)
- iv. मैंगनीज अयस्क (इंडिया) लिमिटेड (एमओआईएल)
- v. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)
- vi. यूनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- vii. जेएसडब्ल्यू स्टील

समिति II: बहुमूल्य धातुएं, अलौह खनिज और औद्योगिक खनिज

[बहुमूल्य धातुएं- स्वर्ण, हीरा, बहुमूल्य पत्थर; अलौह खनिज- आधार धातुएं (तांबा, सीसा, जस्ता) और बॉक्साइट; औद्योगिक खनिज- चूनापत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट, फेल्डस्पार, अभ्रक, बैराइट, अपवर्तक (कायनाइट, सिलिमेनाइट, पाइरोफिलाइट), मैग्नेसाइट, क्ले, फायर क्ले, वोलास्टोनाइट, बर्मिक्यूलाइट, जिओलाइट्स, गार्नेट, एस्बेस्टस, इल्मेनाइट, फ्लूओराइट, स्टीटाइट, आयामी पत्थर, सिलिका रेत, जिप्सम]

अध्यक्ष: अपर महानिदेशक, जीएसआई, दक्षिणी क्षेत्र (एसआर), हैदराबाद

सदस्य सचिव: निदेशक, नीतिगत सहायता प्रणाली, जीएसआई, दक्षिणी क्षेत्र (एसआर), हैदराबाद

मुख्य उद्देश्य: बहुमूल्य धातुओं, अलौह खनिजों और औद्योगिक खनिजों के गवेषण की पहचान करना, आकलन करना और कार्यनीति बनाना तथा उन्नत खनिज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों और तकनीकों को आगे विकसित करना, बढ़ावा देना।

सदस्य:

1. निदेशक (धातु-I), खान मंत्रालय
2. निदेशक (तकनीकी), खान मंत्रालय
3. निदेशक (खान-IV), खान मंत्रालय
4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी)
5. डीजीएम, ओडिशा सरकार
6. डीजीएम, मध्य प्रदेश सरकार
7. डीजीएम, छत्तीसगढ़ सरकार
8. डीजीएम, राजस्थान सरकार
9. डीजीएम, झारखंड सरकार
10. सीजीएम, गुजरात सरकार
11. डीजीएम, कर्नाटक सरकार
12. डीजीएम, जम्मू और कश्मीर सरकार
13. सीजीएम, तमिलनाडु सरकार
14. डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार
15. डीएमजी, तेलंगाना सरकार
16. डीजीएम, महाराष्ट्र सरकार
17. डीजीएम, अरुणाचल प्रदेश
18. डीजीएम, असम
19. डीजीएम, उत्तर प्रदेश सरकार
20. डीएमजी, मेघालय सरकार
21. डीजीएम, बिहार सरकार

22. भारतीय खनिज उद्योग महासंघ (एफआईएमआई)
23. मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)
24. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)
25. राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई)
26. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)
27. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)
28. जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केंद्र (जेएनएआरडीडीसी)
29. जियो मैसूर सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
30. राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास (एनएमईडीटी)
31. उप महानिदेशक, लौह, बहुमूल्य और अन्य खनिज, मिशन अमृत, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली
32. उप महानिदेशक, बहुमूल्य और अन्य खनिज, मिशन अमृत, जीएसआई (ईआर, सीआर, एसआर, डब्ल्यूआर)
33. उप महानिदेशक, मिशन अमृत, जीएसआई (एनईआर, एनआर)
34. निदेशक, पीएसएस-2, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; निदेशक, प्रशिक्षण संस्थान, जीएसआई और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली

स्थायी आमंत्रितगण:

- i. हट्टी गोल्ड माइंस कंपनी लिमिटेड (एचजीएमएल)
- ii. रंगटा माइंस प्राइवेट लिमिटेड
- iii. डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड
- iv. रामगढ़ माइनिंग एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
- v. एनएमडीसी लिमिटेड
- vi. आदित्य बिड़ला ग्रुप (एस्सेल माइनिंग)
- vii. आईआईटी (आईएसएम) धनबाद
- viii. सीएसआईआर-आईएमएमटी, भुवनेश्वर, ओडिशा
- ix. एमएमपीएल प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड)
- x. जियोवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
- xi. जियोएक्सपोर प्रा. लि.
- xii. जेमकोकाटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
- xiii. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड
- xiv. राजस्थान राज्य माइनिंग एंड मिनरल्स लिमिटेड (आरएसएमएमएल)
- xv. अल्ट्राटेक सीमेंट
- xvi. हिंडालको
- xvii. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल)
- xviii. डालमिया भारत लिमिटेड (डीबीएल)
- xix. झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन (जेईएमसीएल)

समिति III: महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज - खोज और विकास

[बेरिल, कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, ग्लौकोनाइट, ग्रेफाइट, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, निकल, नाइओबियम, फॉस्फेट (यूरेनियम रहित), खनिज युक्त प्लैटिनम समूह तत्व, पोटाश, दुर्लभ मृदा तत्व, रेनियम, सेलेनियम, टैंटालम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम और जिरकोनियम]

अध्यक्ष: अपर महानिदेशक, जीएसआई, पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर), जयपुर

सदस्य सचिव: निदेशक, नीतिगत सहायता प्रणाली, जीएसआई, पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर), जयपुर

मुख्य उद्देश्य: औद्योगिक और कार्यनीतिक अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के गवेषण की पहचान करना, आकलन करना और कार्यनीति बनाना।

सदस्य:

1. निदेशक (एनसीएमएम), खान मंत्रालय
2. निदेशक (तकनीकी), खान मंत्रालय
3. कोयला मंत्रालय
4. उर्वरक विभाग (निदेशक स्तर)
5. डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार
6. डीजीएम, राजस्थान सरकार
7. डीजीएम, महाराष्ट्र सरकार
8. सीजीएम, तमिलनाडु सरकार
9. डीजीएम, कर्नाटक सरकार
10. डीजीएम, ओडिशा सरकार
11. डीजीएम, झारखंड सरकार
12. डीजीएम, मध्य प्रदेश सरकार
13. डीजीएम, छत्तीसगढ़ सरकार
14. सीजीएम, गुजरात सरकार
15. डीजीएम, जम्मू और कश्मीर सरकार
16. डीएमजी, तेलंगाना सरकार
17. डीजीएम, अरुणाचल प्रदेश
18. डीजीएम, असम
19. डीएमएम, पश्चिम बंगाल
20. परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी)
21. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)
22. मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)
23. ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी)
24. राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास (एनएमईडीटी)
25. उप महानिदेशक, महत्वपूर्ण खनिज, मिशन अमृत, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली
26. उप महानिदेशक, महत्वपूर्ण खनिज, मिशन अमृत, जीएसआई (ईआर, सीआर, एसआर, डब्ल्यूआर)
27. उप महानिदेशक, मिशन अमृत, जीएसआई (एनईआर, एनआर)
28. निदेशक, पीएसएस-2, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; निदेशक, प्रशिक्षण संस्थान, जीएसआई और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली

स्थायी आमंत्रितगण:

- i. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), हैदराबाद
- ii. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)
- iii. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)
- iv. रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएमआरएल), नई दिल्ली
- v. हिंडाल्को
- vi. सीएसआईआर-आईएमएमटी, भुवनेश्वर
- vii. आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, केरल
- viii. केरल दुर्लभ मृदा और खनिज लिमिटेड
- ix. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क)
- x. नेचुरल रिसोर्सेज डिवीजन, टाटा स्टील
- xi. जियोवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
- xii. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल)
- xiii. क्रिटिकल मिनरल ट्रेकर्स
- xiv. जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केंद्र (जेएनएआरडीडीसी)

सीजीपीबी की समितियों (समिति I से III) के लिए विचारार्थ विषय

समिति I: लौह खनिज; समिति II: बहुमूल्य धातुएं, गैर-लौह खनिज और औद्योगिक खनिज; समिति III: महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज - खोज और विकास, निम्नलिखित संदर्भ शर्तों के साथ पुनर्गठित की गई थीं:

1. अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक योजनाओं के साथ-साथ दीर्घकालिक और अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाओं को तैयार करके गवेषण की निगरानी, प्रबंधन करना और कार्यनीति बनाना।
2. खनिज क्षेत्र को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से गवेषण कार्यकलापों को बढ़ावा देना और बढ़ाना।
3. समिति के कार्यकलापों के क्षेत्र के संबंध में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करना जिसमें चल रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी शामिल है।
4. परिभाषित योजना उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार सरकारी, सार्वजनिक और निजी एजेंसियों द्वारा गवेषण कार्य का समन्वय करना।
5. सहयोग को प्रोत्साहित और सुदृढ़ करना।
6. ज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगतिशील उन्नति को ध्यान में रखते हुए नियमित अंतराल पर अंतिम उपयोगकर्ता विनिर्देशों के स्थिति पत्रक तैयार करना और अद्यतन मैनुअल तैयार करना।
7. केंद्रीय, राज्य और निजी एजेंसियों को शामिल करते हुए सभी क्षेत्रीय और विस्तृत गवेषण के डेटाबेस (स्थिति मानचित्र सहित) को तैयार करना और अद्यतन करना।
8. निम्न श्रेणी के अयस्क के उपयोग, उन्नत खनिज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों और तकनीकों, क्षेत्र/नमूनाकरण उपकरणों के आधुनिकीकरण, खनिज सज्जीकरण प्रौद्योगिकी के साथ-साथ खनिज सूची के डिजिटलीकरण से संबंधित खनिज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य और वैज्ञानिक सहयोग को प्राथमिकता देना।
9. सीएल/एमएल/ईएल धारकों और नियमानुसार खनिज गवेषण में लगी अन्य एजेंसियों द्वारा मिनरल एक्सप्लोरेशन रिपोर्टिंग टेम्पलेट (एमईआरटी) के अनुसार राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी (एनजीडीआर)

में डेटा अपलोड करना सुनिश्चित करना और एक चिन्हित प्रणाली के माध्यम से लॉक-इन अवधि के बाद सार्वजनिक डोमेन में इसकी उपलब्धता की निगरानी करना।

10. केंद्रीय और राज्य संगठनों की श्रमशक्ति को मजबूत करने के लिए सरकार को मानव संसाधन विकास एवं कर्मियों के प्रशिक्षण पर सलाह देना।

समितियों को समिति के सार्थक विचार-विमर्श के लिए आवश्यक समझे जाने पर अन्य संस्थानों को आमंत्रित सदस्य के रूप में सह-चयनित करने का अधिकार होगा।

समिति IV: खनिज वर्गीकरण और सज्जीकरण

अध्यक्ष: निदेशक (अयस्क प्रसाधन), भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), नागपुर, महाराष्ट्र

सदस्य सचिव: अधीक्षण अधिकारी (अयस्क संवर्धन), आईबीएम, नागपुर, महाराष्ट्र

मुख्य उद्देश्य: निम्न ग्रेड अयस्कों का उपयोग करने और एंड ऑफ लाइफ उत्पादों की पुनर्प्राप्ति के लिए खनिज सज्जीकरण, प्रसंस्करण और निष्कर्षण तकनीकों पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

सदस्य:

1. निदेशक (तकनीकी), खान मंत्रालय
2. निदेशक (नीति), खान मंत्रालय
3. परमाणु खनिज गवेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी)
4. राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास (एनएमडीटी)
5. एनएमडीसी लिमिटेड
6. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)
7. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)
8. मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल)
9. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)
10. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल)
11. इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (आईआरईएल)
12. सीएसआईआर-आईएमएमटी, भुवनेश्वर
13. सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल), जमशेदपुर
14. आईआईटी (आईएसएम), धनबाद
15. डीजीएम, ओडिशा सरकार
16. डीजीएम, मध्य प्रदेश सरकार
17. डीजीएम, छत्तीसगढ़ सरकार
18. डीजीएम, राजस्थान सरकार
19. डीजीएम, झारखंड सरकार
20. सीजीएम, गुजरात सरकार
21. डीजीएम, कर्नाटक सरकार
22. डीजीएम, जम्मू और कश्मीर सरकार

23. सीजीएम, तमिलनाडु सरकार
24. डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार
25. डीएमजी, तेलंगाना सरकार
26. डीजीएम, महाराष्ट्र सरकार
27. नॉन-फेरस मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (एनएफटीडीसी), हैदराबाद
28. हट्टी गोल्ड माइन्स लिमिटेड (एचजीएमएल), कर्नाटक
29. आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड (एपीएमडीसी)
30. राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड (आरएसएमएमएल), राजस्थान
31. गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी), गुजरात
32. ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएमसी)
33. तमिलनाडु मिनरल लिमिटेड (टैमिन)
34. केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड (केएमएमएल)
35. उप महानिदेशक, मिशन अमृत, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली
36. उप महानिदेशक, मिशन अमृत, जीएसआई (सभी क्षेत्र)
37. उप महानिदेशक, एनसीईजीआर, मिशन मंथन, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता
38. निदेशक, पीएसएस-2, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; निदेशक, पीएसएस-4, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; निदेशक प्रशिक्षण संस्थान, जीएसआई और निदेशक सीजीपीबी सचिवालय, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली
39. एमजीएमआई

स्थायी आंमत्रितगण:

- i. जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और अभिकल्प केंद्र (जेएनएआरडीडीसी)
- ii. आईआईटी, खड़गपुर (धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग विभाग)
- iii. आईआईटी, बॉम्बे (धातुकर्म इंजीनियरिंग और सामग्री विज्ञान विभाग)
- iv. आईआईटी, हैदराबाद (पदार्थ विज्ञान और धातुकर्म इंजीनियरिंग विभाग)
- v. आईआईएससी, बेंगलुरु (पदार्थ इंजीनियरिंग विभाग)
- vi. राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), चेन्नई
- vii. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क)
- viii. सीएसआईआर-एनआईआईएसटी, त्रिवेंद्रम
- ix. सीएसआईआर-एनआईआईएसटी, जोरहाट, असम
- x. टाटा स्टील
- xi. जेएसडब्ल्यू स्टील
- xii. वेदांता लिमिटेड
- xiii. हिंडालको

सीजीपीबी समिति-IV (खनिज वर्गीकरण और सज्जीकरण) के लिए विचारार्थ विषय

1. विभिन्न खनिज पदार्थों के अयस्कों के विस्तृत वर्गीकरण और सज्जीकरण अध्ययन की योजना तैयार करना।
2. प्रौद्योगिकी और ज्ञान अंतर की पहचान करना, और महत्वपूर्ण खनिजों की कार्य योजना तैयार करना एवं प्रसंस्करण एवं निष्कर्षण के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना।
3. विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए सज्जीकरण, प्रसंस्करण और अयस्क प्रसाधन के विभिन्न चरणों में केंद्रित अनुसंधान एवं विकास पर रणनीति तैयार करना। इसमें देश के खनिज क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को प्राथमिकता देना और वर्गीकरण और प्रसंस्करण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और संवर्धन की सिफारिश करना शामिल है।
4. प्राथमिक और गौण स्रोतों से प्राप्त विभिन्न अयस्कों और महत्वपूर्ण खनिजों पर अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों की समीक्षा करना।
5. सरकार के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार सरकार, सार्वजनिक और निजी एजेंसियों द्वारा किए गए सज्जीकरण अध्ययनों पर हितधारकों के बीच समन्वय करना।
6. निम्न श्रेणी के अयस्कों के सज्जीकरण और प्रसंस्करण में खनिज उद्योग को सुविधाजनक बनाने और उप-उत्पादों के रूप में संबद्ध खनिजों / महत्वपूर्ण धातु मूल्यों की पुनर्प्राप्ति करना।
7. प्रौद्योगिकी की उन्नति और वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक संयंत्रों के धातुकर्म और सामग्री संतुलन मापदंडों के साथ उद्योग और प्रक्रिया फ्लोशीट के अंतिम उपयोगकर्ता विनिर्देशों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाएं, आधार दस्तावेज, मैनुअल और दिशानिर्देश तैयार करना।
8. केंद्रीय, राज्य और निजी एजेंसियों द्वारा कराये गए सभी सज्जीकरण अध्ययनों के डेटाबेस को तैयार करना और अद्यतन करना।
9. वैश्विक मानकों के अनुरूप सज्जीकरण, प्रसंस्करण और निष्कर्षण तकनीकों को अपनाकर देश की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खनिज संरक्षण और खनिजों के इष्टतम उपयोग पर सरकार को सलाह देना।

समिति के पास समिति के सार्थक विचार-विमर्श के लिए आवश्यकता महसूस होने पर अन्य संस्थानों को आमंत्रित करने के रूप में चुनने की शक्ति होगी।

समिति V: ऊर्जा खनिज और संसाधन

(कोयला, लिग्नाइट, भूतापीय, प्राकृतिक हाइड्रोजन, शेल गैस आदि)

अध्यक्ष: उपमहानिदेशक और प्रमुख, प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन (एनईएनआर), मिशन अमृत, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता

सदस्य सचिव: निदेशक, एनईएनआर, मिशन अमृत, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता

मुख्य उद्देश्य: सभी गैर-नवीकरणीय और नवीकरणीय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधनों पर सर्वेक्षण, मानचित्रण, अनुसंधान करना।

सदस्य:

1. निदेशक (तकनीकी), खान मंत्रालय
2. कोयला मंत्रालय
3. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
4. नीति आयोग (सलाहकार / संयुक्त सलाहकार: विद्युत और ऊर्जा)
5. डीजीएम, महाराष्ट्र सरकार

6. सीजीएम, गुजरात सरकार
7. डीजीएम, राजस्थान सरकार
8. डीजीएम, छत्तीसगढ़ सरकार
9. डीएमजी, झारखंड सरकार
10. डीएमएम, पश्चिम बंगाल सरकार
11. डीजी, ओडिशा सरकार
12. एमआरडी, मध्य प्रदेश सरकार
13. सीजीएम, तमिलनाडु सरकार
14. डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार
15. डीजीएम, उत्तर प्रदेश सरकार
16. डीएमजी, तेलंगाना सरकार
17. डीजीएम, असम सरकार
18. डीएमजी, मेघालय सरकार
19. डीजीएम, नागालैंड सरकार
20. डीजीएम, अरुणाचल प्रदेश सरकार
21. डीजीएमआर, मिजोरम सरकार
22. डीजीएम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख
23. हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)
24. सीएसआईआर-एनजीआरआई
25. एनएलसी इंडिया लिमिटेड
26. मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)
27. सीएमपीडीआई लिमिटेड, रांची
28. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
29. सीएसआईआर-सीआईएमएफआर
30. ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी)
31. राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास (एनएमईडीटी)
32. तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी)
33. मुख्य अभियंता, केंद्रीय मुख्यालय, जीएसआई, कोलकाता
34. उप महानिदेशक, रसायनिकी, केंद्रीय मुख्यालय, जीएसआई
35. उप महानिदेशक, लौह, बहुमूल्य और अन्य खनिज, मिशन अमृत, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली
36. उप महानिदेशक, बहुमूल्य और अन्य खनिज, मिशन अमृत, जीएसआई (ईआर, सीआर, एसआर, डब्ल्यूआर)
37. उप महानिदेशक, मिशन अमृत, जीएसआई (एनईआर, एनआर)
38. ऊर्जा खनिज और संसाधन (कोयला, लिग्नाइट, भूतापीय, प्राकृतिक हाइड्रोजन, शेल गैस आदि) से जुड़े जीएसआई के निदेशक; निदेशक, पीएसएस-2, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; निदेशक, प्रशिक्षण संस्थान, जीएसआई और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली

स्थायी आमंत्रितगण:

- i. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)
- ii. टाटा स्टील
- iii. एनटीपीसी लिमिटेड
- iv. सीएसआईआर-एनएमएल, जमशेदपुर
- v. भारतीय खनन, भूवैज्ञानिक और धातुकर्म संस्थान (एमजीएमआई)
- vi. एसएसी, इसरो
- vii. भूतापीय ऊर्जा अनुसंधान केंद्र (सीजीईआर), सीएसआईआर-एनजीआरआई
- viii. अडानी एंटरप्राइजेज
- ix. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल)
- x. रिलायंस इंडस्ट्रीज
- xi. आईआईटी (आईएसएम), धनबाद
- xii. आईआईटी, बॉम्बे

सीजीपीबी समिति-V (ऊर्जा खनिज और संसाधन) के लिए विचारार्थ विषय

1. सभी गैर-नवीकरणीय और नवीकरणीय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्रीय, विस्तृत और संवर्धनात्मक गवेषण करने के लिए वार्षिक योजनाओं के साथ-साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाओं को तैयार करना।
2. समिति के कार्यकलाप क्षेत्र से संबंधित अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करना जिसमें चल रहे कार्यक्रम भी शामिल हैं।
3. निर्धारित योजना उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार सरकारी, सार्वजनिक और निजी एजेंसियों द्वारा गवेषण कार्य का समन्वय करना।
4. गवेषण में केंद्रीय और राज्य संगठनों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के बीच साझेदारी को सुविधाजनक बनाना और बढ़ावा देना।
5. ज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगतिशील उन्नति को ध्यान में रखते हुए नियमित अंतराल पर स्थिति पत्र तैयार करना और अंतिम उपयोगकर्ता विनिर्देशों का मैनुअल अद्यतन करना।
6. कोयला से जुड़े दुर्लभ मृदा और ट्रेस तत्वों को होने की रिपोर्ट करना।
7. केंद्रीय, राज्य और निजी एजेंसियों को शामिल कर सभी क्षेत्रीय और विस्तृत गवेषण के डेटाबेस (स्थिति मानचित्र सहित) को तैयार करना और अद्यतन करना।
8. कार्यप्रणाली तैयार करना और डेटा साझाकरण और प्रसार के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
9. वैश्विक मानकों के अनुरूप वैज्ञानिक खनन, अयस्क प्रसाधन और सज्जीकरण प्रौद्योगिकी को अपनाकर देश की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खनिजों के संरक्षण और इष्टतम उपयोग पर सरकार को सलाह देना।

10. हरित ऊर्जा क्षेत्र में ठोस जीवाश्म ईंधन के वैकल्पिक उपयोग से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य को प्राथमिकता देना तथा गोंडवाना तलछटों और कोयला एवं लिग्नाइट में आरईई और आरएम के लिए गवेषण और अनुसंधान कार्य की कार्यप्रणाली तैयार करना।
11. राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक हाइड्रोजन और शेल गैस के अनुसंधान विकास और गवेषण कार्य को सुविधाजनक बनाना।
12. नियमानुसार खनिज गवेषण रिपोर्टिंग टेम्पलेट (एमईआरटी) के अनुसार सीएल / एमएल / ईएल धारकों और खनिज गवेषण में लगी अन्य एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा भंडार (एनजीडीआर) में डेटा अपलोड करना सुनिश्चित करना और चिह्नित प्रणाली के माध्यम से लॉक-इन अवधि के बाद सार्वजनिक डोमेन में इसकी उपलब्धता की निगरानी करना।
13. केंद्रीय और राज्य संगठनों के कर्मचारियों की मैनपावर को मजबूत करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण पर सरकार को सलाह देना।

समिति के पास समिति के सार्थक विचार-विमर्श के लिए आवश्यक समझे जाने पर अन्य संस्थानों को आमंत्रित सदस्य के रूप में चुनने की शक्ति होगी।

सीजीपीबी समिति VI: अपतट सर्वेक्षण और खनिज गवेषण

अध्यक्ष: उप महानिदेशक और विभागाध्यक्ष, जीएसआई, समुद्री और तटीय सर्वेक्षण (एम एंड सीएस), मिशन मंथन, जीएसआई, मंगलुरु

सदस्य सचिव: निदेशक, नीति सहायता प्रणाली, मिशन मंथन, जीएसआई, एमएंडसीएस, मंगलुरु

मुख्य उद्देश्य: देश की ब्लू अर्थव्यवस्था क्षमता का लाभ उठाते हुए बहुधात्विक नोड्यूलस, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट-समृद्ध क्रस्ट सहित समुद्री खनिज संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना।

सदस्य:

1. निदेशक (तकनीकी), खान मंत्रालय
2. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस)
3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)
4. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)
5. हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)
6. महा-निदेशक, ओडिशा सरकार
7. डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार
8. सीजीएम, तमिलनाडु सरकार
9. डीएमजी, केरल सरकार
10. डीएमजी, कर्नाटक सरकार
11. डीजीएम, महाराष्ट्र सरकार
12. डीएमजी, गोवा सरकार
13. सीजीएम, गुजरात सरकार
14. राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा

15. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ), गोवा
16. परमाणु खनिज गवेषण और अनुसंधान निदेशालय (एएमडी)
17. राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास (एनएमईडीटी)
18. उप महानिदेशक, बेसलाइन मैपिंग और अनुसंधान, मिशन मंथन, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता
19. उप महानिदेशक, महत्वपूर्ण खनिज, मिशन अमृत, एनसीआर मुख्यालय, नई दिल्ली
20. उप महानिदेशक, एम एंड सीएस, मिशन मंथन, जीएसआई, विशाखापत्तनम
21. उप महानिदेशक, भूभौतिकी (उपकरण), एम एंड सीएस, मिशन मंथन, जीएसआई, मैंगलोर
22. निदेशक, पीएसएस-1, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; निदेशक, प्रशिक्षण संस्थान, जीएसआई और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली

स्थायी आमंत्रितगण :

- i. भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
- ii. भारतीय नौसेना (आईएन), नई दिल्ली
- iii. नौसेना भौतिक समुद्रविज्ञान प्रयोगशाला (NPOL), कोचीन
- iv. राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय (एनएचओ), देहरादून
- v. अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (एसएसी), अहमदाबाद
- vi. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), हैदराबाद
- vii. राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), चेन्नई
- viii. तटीय कटाव निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली
- ix. एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन (आईसीएमएएम), चेन्नई
- x. जियोमरीन सॉल्यूशंस
- xi. राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर), चेन्नई
- xii. राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसीईएसएस), केरल, तिरुवनंतपुरम
- xiii. भारतीय नौवहन पंजीयक (आईआरएस)

सीजीपीबी समिति VI- (अपतट सर्वेक्षण और खनिज गवेषण) के विचारार्थ विषय

1. देश की ब्लू अर्थव्यवस्था क्षमता का लाभ उठाते हुए, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट-समृद्ध क्रस्ट सहित अपतट सर्वेक्षण और समुद्री खनिज जांच पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक के साथ-साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार करना।
2. अपतट क्षेत्रों में निर्जीव संसाधनों के गवेषण और दोहन को संवर्धित करना और बढ़ावा देना।
3. समिति के कार्यकलाप डोमेन से संबंधित अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करना जिसमें चल रही परियोजनाएं भी शामिल हैं।
4. योजना के उद्देश्यों के अनुरूप जीएसआई और अन्य संगठनों के चल रहे कार्यक्रमों के बारे में ठोस सुझाव देना।
5. विभिन्न कार्यों को दी गई प्राथमिकताओं में, यदि आवश्यक हो तो, परिवर्तन की सिफारिश करना। खान मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के बीच निम्नलिखित के संबंध में प्राथमिकताओं और जिम्मेदारियों को साझा करना परिभाषित किया जाना है: (i) अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में व्यवस्थित समुद्र तल मानचित्रण और क्षेत्रीय अपतट खनिज

अन्वेषण जिसमें समीपवर्ती क्षेत्र (सीजेड) और राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड (टीडब्ल्यू) शामिल हैं और खनिजीकरण के अनुसार आवंटित गहरे समुद्र क्षेत्र भी शामिल हैं और (ii) भविष्य में विस्तारित ईईजेड का व्यवस्थित समुद्र तल मानचित्रण।

6. विभिन्न संगठनों द्वारा सृजित अपतट डेटा के कार्यनीतिक और वर्गीकृत प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों को डेटा प्रसार के लिए पुनर्वर्गीकरण का प्रस्ताव करना और सदस्य संगठनों के साथ-साथ सार्वजनिक डोमेन में भी उसी के आदान-प्रदान की तौर-तरीकों को तैयार करना।

7. एनएमपी 2019 और अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 में नए विकासों के मद्देनजर स्थिति पत्र तैयार करना, दीर्घकालिक/अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार करना और अंतिम उपयोगकर्ता विनिर्देश बनाना।

8. अपतट सर्वेक्षण और खनिज गवेषण में ज्ञान के विकास के लिए जीएसआई और भारत तथा विदेशों में अन्य सदस्य संगठनों और विशेषीकृत संस्थानों के बीच सहयोगात्मक कार्यक्रम का सुझाव देना।

9. समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर विशेष कार्यकलाप डोमेन अर्थात् तटीय भूविज्ञान, भू-तकनीकी पैरामीटर, तटीय पर्यावरण आकलन आदि से संबंधित किसी भी विशेष महत्व के मामले पर सलाह देना।

समिति के पास समिति के सार्थक विचार-विमर्श के लिए आवश्यक समझे जाने पर अन्य संस्थानों को आमंत्रित सदस्य के रूप में सह-चयनित करने की शक्ति होगी।

समिति VII: भूविज्ञान सर्वेक्षण और मानचित्रण [भूमि और हवाई]

अध्यक्ष: उप महानिदेशक और विभागाध्यक्ष (एचओडी), मिशन मंथन, जीएसआई, रिमोट सेंसिंग एंड एरियल सर्वे (आरएसएस), बेंगलुरु

सदस्य सचिव: निदेशक, नीतिगत सहायता प्रणाली, मिशन मंथन, जीएसआई, आरएसएस, बेंगलुरु

मुख्य उद्देश्य: अन्य भूविज्ञान मानचित्रण तकनीकों के साथ मिलकर उन्नत भूवैज्ञानिक मानचित्रण तकनीकों और प्रौद्योगिकियों, अर्थात् एनएजीएमपी, एमटी, डीएसआरएस, ईएम आदि के विकास और कार्यान्वयन की निगरानी करना।

सदस्य:

1. निदेशक (तकनीकी), खान मंत्रालय
2. रक्षा मंत्रालय
3. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)
4. डीजीएम, मध्य प्रदेश सरकार
5. डीजी, ओडिशा सरकार
6. डीएमजी, राजस्थान सरकार
7. डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार
8. डीएमजी, कर्नाटक सरकार
9. डीजीएम, छत्तीसगढ़ सरकार
10. डीजीएम, महाराष्ट्र सरकार
11. सीजीएम, गुजरात सरकार
12. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), इसरो
13. तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी)
14. परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी)
15. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)
16. हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)
17. राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई)
18. मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)

19. यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल)
20. एनएमडीसी लिमिटेड
21. सीएमपीडीआई लिमिटेड, रांची
22. एक्सओम एक्सप्लोरेशन ग्रुप लिमिटेड
23. डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी)
24. राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास (एनएमडीटी)
25. उप महानिदेशक, बेसलाइन मैपिंग और अनुसंधान, मिशन मंथन, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता
26. उप महानिदेशक, महत्वपूर्ण खनिज, मिशन अमृत, एनसीआर मुख्यालय, नई दिल्ली
27. उप महानिदेशक, लौह, बहुमूल्य और अन्य खनिज, मिशन अमृत, एनसीआर मुख्यालय, नई दिल्ली
28. उप महानिदेशक, बेसलाइन मैपिंग और अनुसंधान, मिशन मंथन, जीएसआई (सभी क्षेत्र)
29. उप महानिदेशक, भूभौतिकी, मिशन मंथन और अमृत, जीएसआई, बंगलुरु
30. निदेशक, पीएसएस-1, निदेशक, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; निदेशक प्रशिक्षण संस्थान, जीएसआई और सीजीपीबी सचिवालय, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली

स्थायी आमंत्रितगण:

- i. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)
- ii. भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आईआईआरएस), देहरादून
- iii. कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्य (सुदूर संवेदन केंद्र)
- iv. आईआईटी, खड़गपुर
- v. आईआईटी, बॉम्बे
- vi. आई.आई.एस.सी, बंगलुरु
- vii. सैंडर जियोफिजिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- viii. आईआईसी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

सीजीपीबी समिति-VII (भूविज्ञान सर्वेक्षण और मानचित्रण [भूमि और हवाई]) के लिए विचारार्थ विषय

1. राष्ट्रीय स्तर पर भूविज्ञान सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए वार्षिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं की अवधारणा बनाना और उनका निर्माण करना। समिति देश में निम्नलिखित सर्वेक्षण और मानचित्रण कार्यकलापों का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, विकास, निगरानी और समीक्षा करेगी:
 - (क) भूवैज्ञानिक मानचित्र अद्यतन: गहन क्षेत्र जांच के साथ भूभौतिक डेटासेट को एकीकृत करके विभिन्न पैमाने पर भूवैज्ञानिक मानचित्रों को अद्यतन और उन्नत करना।
 - (ख) मल्टीस्पेक्ट्रल और हाइपरस्पेक्ट्रल मैपिंग
 - (ग) भूभाग पैमाने में आइसोटोप भूवैज्ञानिक मानचित्रण।
 - (घ) गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय, एमटी, डीएसआरएस आदि का उपयोग करके 2डी, 3डी मानचित्रण के लिए भू-भौतिकीय सर्वेक्षण।
 - (ङ) भविष्य सूचक भूवैज्ञानिक मानचित्रण: भूभौतिकीय, भू-रासायनिक और कुओं के डेटा का उपयोग करके मिट्टी से ढके क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना ताकि उपसतह की भूवैज्ञानिक विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सके।

- (च) अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके वायुभौतिकी सर्वेक्षण करना।
- (छ) उपयुक्त इलाके में ड्रोन आधारित सर्वेक्षण और मानचित्रण करना।
2. एक व्यापक अवधारणा दस्तावेज़ या आधार दस्तावेज़ तैयार करना जो उपरोक्त सर्वेक्षण और मानचित्रण गतिविधियों के लिए कार्यप्रणाली और कार्यनीतियों का विवरण देता है।
 3. समिति के कार्यकलाप डोमेन के भीतर विभिन्न संगठनों द्वारा की गई वार्षिक उपलब्धियों और कार्यों की समीक्षा करना। देश की प्राथमिकताओं के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करना।
 4. डेटा और सूचना के कुशल साझाकरण को सुनिश्चित करने, संसाधन उपयोग को अधिकतम करने के लिए संगठनों के बीच सहयोग के लिए ढांचे विकसित करना।
 5. राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सार्वजनिक डोमेन में भूवैज्ञानिक डेटा और मानचित्रों के प्रसार को बढ़ावा देना। डेटा साझा करने पर प्रतिबंध को कम करने के उपाय प्रस्तावित करना।
 6. भूविज्ञान सर्वेक्षण और मानचित्रण से संबंधित मामलों पर समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर सिफारिशें प्रदान करना और सरकार को सलाह देना।

समिति के पास सार्थक विचार-विमर्श और सुविज्ञ निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए आमंत्रितों के रूप में अन्य संस्थानों या विषय विशेषज्ञों को सह-चयनित करने का अधिकार होगा।

समिति-VIII: पूर्वोत्तर क्षेत्र का भूविज्ञान और खनिज संसाधन

अध्यक्ष: अपर महानिदेशक और विभागाध्यक्ष, जीएसआई, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), शिलांग

सदस्य सचिव: निदेशक, पीएसएस, जीएसआई, एनईआर, शिलांग

मुख्य उद्देश्य: पूर्वोत्तर क्षेत्र की खनिज क्षमता का उपयोग करना और एनईआर में सभी भूविज्ञान गतिविधियों की निगरानी और समन्वय करना।

सदस्य:

1. निदेशक (तकनीकी), खान मंत्रालय
2. नीति आयोग, भारत सरकार (सलाहकार-खनिज)
3. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस)
4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी)
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
6. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)
7. मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)
8. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)
9. केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)
10. तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी)
11. परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी)
12. डीजीएम, अरुणाचल प्रदेश सरकार
13. डीजीएम, असम सरकार
14. डीसीआई, मणिपुर सरकार

15. डीएमजी, मेघालय सरकार
16. डीजीएमआर, मिजोरम सरकार
17. डीजीएम, नागालैंड सरकार
18. डीआईसी, त्रिपुरा सरकार
19. डीएमएमजी, सिक्किम सरकार
20. टाटा स्टील
21. सीएमपीडीआई लिमिटेड, रांची
22. राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास (एनएमईडीटी)
23. उप महानिदेशक, बेसलाइन मैपिंग और अनुसंधान, मिशन मंथन, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता
24. उप महानिदेशक, महत्वपूर्ण खनिज, मिशन अमृत, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली
25. उप महानिदेशक, लौह, बहुमूल्य और अन्य खनिज, मिशन अमृत, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली
26. उप महानिदेशक और प्रमुख, एनईएनआर, मिशन अमृत, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता
27. उप महानिदेशक, एनसीईजीआर, मिशन मंथन, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता
28. उप महानिदेशक, बेसलाइन मैपिंग और अनुसंधान, मिशन मंथन, जीएसआई, एनईआर, शिलांग
29. उप महानिदेशक, मिशन अमृत, जीएसआई, एनईआर, शिलांग
30. उप महानिदेशक, भूभौतिकी, मिशन मंथन और अमृत, जीएसआई, एनईआर, शिलांग
31. राज्य इकाइयों के उप महानिदेशक, जीएसआई, एनईआर; निदेशक, पीएसएस-2, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; निदेशक, पीएसएस-4, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; निदेशक, प्रशिक्षण संस्थान, जीएसआई और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली

स्थायी आमंत्रितगण:

- i. पूर्वोत्तर परिषद (सलाहकार, खनिज)
- ii. ब्रह्मपुत्र बोर्ड
- iii. सीमा सड़क संगठन
- iv. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)
- v. एनएचपीसी लिमिटेड
- vi. एनटीपीसी लिमिटेड
- vii. पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनईईपीसीओ)
- viii. पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्व में आरआरएल), जोरहाट
- ix. भूविज्ञान विभाग, नागालैंड विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि
- x. भूविज्ञान विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि
- xi. भूविज्ञान विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि
- xii. भूविज्ञान विभाग, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि
- xiii. भूविज्ञान विभाग, तेजपुर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि
- xiv. भूविज्ञान विभाग, असम विश्वविद्यालय, सिलचर से प्रतिनिधि
- xv. भूविज्ञान विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के प्रतिनिधि

- xvi. पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
- xvii. आईआईटी, गुवाहाटी
- xviii. लाफार्ज इंडिया प्रा. लि
- xix. पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे
- xx. राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)
- xxi. पूर्वोत्तर कोल लिमिटेड (केवल सीआईएल की इकाई)
- xxii. तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी)
- xxiii. कोल इंडिया लिमिटेड
- xxiv. स्टार सीमेंट

सीजीपीबी की समिति-VIII (पूर्वोत्तर क्षेत्र के भूविज्ञान और खनिज संसाधन) के लिए विचारार्थ विषय

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूवैज्ञानिक कार्यकलापों के लिए वार्षिक तथा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजना तैयार करना।
2. भूविज्ञान कार्यकलाप के क्षेत्र में सभी प्रतिभागियों (सरकार, सार्वजनिक, निजी, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं विकास संस्थान आदि) के लिए एक सामान्य मंच के रूप में कार्य करने के लिए समिति।
3. क्षेत्र में अधिक प्रगतिशील खनिज क्षेत्र बनाने के लिए खनिज गवेषण और दोहन सहित भूविज्ञान कार्यकलापों को बढ़ावा देना और बढ़ाना।
4. खनिज संसाधनों के मानचित्रण, गवेषण और दोहन के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों, द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में सभी पृथ्वी विज्ञान संबंधी कार्यकलापों की निगरानी और समन्वय करना।
5. प्राकृतिक और मानवजनित खतरों के संदर्भ में, क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए।
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) देश का जलविद्युत भंडार है और इसके विकास में सरकारी तथा निजी संगठन कार्यरत हैं। समिति एक साझा मंच के रूप में कार्य करेगी, जहाँ विशेष रूप से भूवैज्ञानिक अप्रत्याशितताओं और जल संसाधन विकास से संबंधित इंजीनियरिंग समाधानों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा तथा उनका समाधान किया जाएगा।
7. यदि आवश्यक हो तो विभिन्न कार्यों को दी गई प्राथमिकताओं में परिवर्तन की सिफारिश करना।
8. विभिन्न उभरते मुद्दों, दीर्घकालिक/अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाओं पर स्थिति पत्र तैयार करने के लिए।

समिति के पास समिति के सार्थक विचार-विमर्श के लिए आवश्यकता होने पर अन्य संस्थानों को आमंत्रितगण के रूप में सह-चयनित करने की शक्ति होगी।

समिति IX: भू-खतरे और आपदा जोखिम प्रबंधन

[भूतकनीकी जांच, प्राकृतिक खतरे, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण भूविज्ञान, ध्रुवीय अध्ययन, उपसतह जल विज्ञान]

अध्यक्ष: अपर महानिदेशक और विभागाध्यक्ष, जीएसआई, उत्तरी क्षेत्र (एनआर), लखनऊ

सदस्य सचिव: निदेशक, नीतिगत सहायता प्रणाली, जीएसआई, एनआर, लखनऊ

मुख्य उद्देश्य: भूकंप, भूस्खलन, जीएलओएफ, इंजीनियरिंग और धंसने जैसे भूवैज्ञानिक खतरों की पहचान करना, उनका आकलन करना और उन्हें कम करना

सदस्य:

1. निदेशक (तकनीकी), खान मंत्रालय
2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी)

3. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस)
4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
5. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), इसरो
6. डीजीएम, जम्मू और कश्मीर सरकार
7. भूवैज्ञानिक विंग, उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
8. भूविज्ञान और खनन इकाई, उत्तराखंड सरकार
9. पूर्वोत्तर राज्यों के डीजीएम/डीएमजी
10. डीजीएम, उत्तर प्रदेश सरकार
11. डीजीएम, हरियाणा सरकार
12. डीजीएम, पंजाब सरकार
13. राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर
14. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)
15. उप महानिदेशक, भू-खतरा, भूस्खलन, ईक्यू और ईजी, मिशन मंथन, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता
16. उप महानिदेशक, एनसीईजीआर, मिशन मंथन, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता
17. उप महानिदेशक, बेसलाइन मैपिंग और अनुसंधान, मिशन मंथन, जीएसआई (सभी क्षेत्र)
18. उप महानिदेशक, भूस्खलन, ईजी, ईक्यू और भू-पर्यावरण, मिशन मंथन, जीएसआई, एनईआर, शिलांग
19. उप महानिदेशक, सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज ऑन हिमालयन जियोलॉजी, मिशन मंथन लखनऊ
20. उप-महानिदेशक, जीएसआई, भू-तकनीकी जांच, प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण भूविज्ञान, ध्रुवीय अध्ययन, उपसतह जल विज्ञान से संबद्ध निदेशक, पीएसएस-4, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; निदेशक, प्रशिक्षण संस्थान, जीएसआई और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली

स्थायी आमंत्रितगण:

- i. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली
- ii. राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की
- iii. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)
- iv. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- v. राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए)
- vi. जी.बी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा
- vii. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- viii. स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट (एसएएसई), चंडीगढ़
- ix. भूकंपीय अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर
- x. एसडीएमए, जम्मू और कश्मीर सरकार
- xi. एसडीएमए, हिमाचल प्रदेश सरकार
- xii. एसडीएमए, उत्तराखंड सरकार
- xiii. एसडीएमए, उत्तर-पूर्वी राज्यों की सरकार

- xiv. एसडीएमए, पश्चिम बंगाल सरकार
- xv. एसडीएमए, तमिलनाडु सरकार
- xvi. एसडीएमए, केरल सरकार
- xvii. राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान (एनआईआरएम)
- xviii. राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई)
- xix. सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)
- xx. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), नई दिल्ली
- xxi. एसडीएमए, उत्तर प्रदेश सरकार
- xxii. भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी)
- xxiii. भूजल विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
- xxiv. राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा
- xxv. वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (डब्ल्यूआईएचजी), देहरादून
- xxvi. भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), पुणे
- xxvii. रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, उत्तर प्रदेश
- xxviii. उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल)
- xxix. आईएमडी, मौसम भवन, नई दिल्ली
- xxx. भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून

सीजीपीबी की समिति- IX (भू-खतरों और आपदा जोखिम प्रबंधन) के लिए विचारार्थ विषय

1. भूकंप, भूस्खलन, जीएलओएफ, धंसाव आदि जैसे भू-खतरों की पहचान करना, उनका आकलन करना और उन्हें कम करना।
2. राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक योजना के साथ-साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना तैयार करना।
3. भू-खतरों से उत्पन्न सामाजिक मुद्दों पर समय-समय पर सरकार को सलाह देना और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए पुनर्वास सहित संभावित निवारक / शमन उपायों का सुझाव देना।
4. भूस्खलन और भूकंप से संबंधित बड़ी संख्या में मापदंडों पर व्यवस्थित रूप से (जहां संभव हो स्थानिक आधार पर) साथ ही, आर्सेनिक, फ्लोरीन प्रदूषण आदि जैसे भू-स्थानिक आयाम वाले अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक भलाई के मुद्दों पर भी डेटा की निगरानी करना और उसे एकत्र करना।
5. विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने और भविष्य के कार्यों के लिए उनके प्रस्तावों का आकलन करने तथा समिति के दायरे में भूविज्ञान क्षेत्र में भविष्य की कार्यप्रणाली के लिए अंतराल क्षेत्रों की पहचान करने के लिए।
6. पृथ्वी प्रणाली और उसके संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए भू-पर्यावरणीय और भू-खतरा डोमेन में अत्याधुनिक और अनुसंधान के उपयोग को बढ़ावा देना।
7. भू-खतरों सहित विभिन्न भूवैज्ञानिक घटनाओं के संबंध में योजना, प्रबंधन, रोकथाम आदि के लिए जीआईएस अनुप्रयोग विकसित करने में मदद करने के लिए स्थानिक डेटा सहित संबंधित डेटा सेट के एकीकरण को सक्षम करने के लिए।

8. राष्ट्रीय संगठनों के बीच आपसी बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, पूर्वानुमान केंद्र और पूर्व चेतावनी प्रणाली को उन्नत और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से, प्राकृतिक खतरों को कम करने के लिए जमीनी स्तर पर उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
9. सभी भू-खतरों और आपदा जोखिम प्रबंधन में क्षमता निर्माण विकसित करना।
10. किसी भी अन्य जरूरी मामले पर सीजीपीबी को सलाह देना जो समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए।
11. समिति को विशिष्ट एजेंडा के साथ विशेष विषय पर छोटे समूहों की बैठकें बुलाने का अधिकार है।
12. नदी के कटाव पर एसओपी तैयार करने और गतिशील अध्ययन, भूजल संदूषण अध्ययन आदि।

समिति के पास समिति के सार्थक विचार-विमर्श के लिए आवश्यक महसूस होने पर अन्य संस्थानों को आमंत्रित सदस्य के रूप में सह-चयनित करने की शक्ति होगी।

समिति X: भूविज्ञान अनुसंधान और नवाचार और भूविरासत

अध्यक्ष: उप महानिदेशक, एनसीईजीआर, मिशन मंथन, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता

सदस्य सचिव: निदेशक, एनसीईजीआर, मिशन मंथन, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता

मुख्य उद्देश्य:

- भूविज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिज प्रणाली अनुसंधान पर जोर देना।
- सरकार द्वारा, समय-समय पर राष्ट्रीय महत्व के भू-विरासत स्थलों और भू-अवशेषों की पहचान, संरक्षण, सुरक्षा और रखरखाव के लिए दिशानिर्देश तैयार करना और केंद्र निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आवश्यक संशोधनों का सुझाव देना।

सदस्य:

1. निदेशक (तकनीकी), खान मंत्रालय
2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)
3. तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी)
4. राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई)
5. वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून
6. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)
7. परमाणु खनिज गवेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी)
8. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
9. राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की
10. डीजीएम, राजस्थान सरकार
11. डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार
12. डीजीएम, महाराष्ट्र सरकार
13. सीजीएम, तमिलनाडु सरकार
14. एमआरडी, मध्य प्रदेश सरकार

15. डीएमजी, कर्नाटक सरकार
16. सीजीएम, गुजरात
17. डीजीएम, संघ शासित प्रदेश, लद्दाख
18. उप महानिदेशक, बेसलाइन मैपिंग और अनुसंधान, मिशन मंथन जीएसआई (सभी क्षेत्र)
19. उप महानिदेशक, सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज ऑन हिमालयन जियोलॉजी, मिशन मंथन, जीएसआई, लखनऊ
20. उप महानिदेशक, अंतरराष्ट्रीय मामले एवं क्यूरेटोरियल डिवीजन, जीएसआई, केन्द्रीय मुख्यालय कार्यालय, कोलकाता; निदेशक, पीएसएस-4, जीएसआई, केन्द्रीय मुख्यालय कार्यालय, कोलकाता; निदेशक, प्रशिक्षण संस्थान, जीएसआई; निदेशक, जियोहेरिटेज सेल, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली

स्थायी आमंत्रितगण:

- i. सीएसआईआर के प्रतिनिधि
- ii. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, दिल्ली
- iii. भूविज्ञान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि
- iv. भूविज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि
- v. भूविज्ञान विभाग, अन्ना विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि
- vi. भूविज्ञान विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि
- vii. भूविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि
- viii. भूविज्ञान विभाग के प्रतिनिधि, एम.एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय
- ix. भूविज्ञान विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि
- x. भूविज्ञान विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि
- xi. भूविज्ञान विभाग, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि
- xii. भूविज्ञान विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी के प्रतिनिधि
- xiii. आईआईटी, खड़गपुर, बॉम्बे, रुड़की, गुवाहाटी, आईएसएम-धनबाद के प्रतिनिधि
- xiv. पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम के प्रतिनिधि
- xv. रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएमआरएल, हैदराबाद) के प्रतिनिधि
- xvi. राष्ट्रीय प्रयोगात्मक खनिज विज्ञान और पेट्रोलॉजी केंद्र, इलाहाबाद के प्रतिनिधि
- xvii. बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ के प्रतिनिधि
- xviii. एनईईआरआई के प्रतिनिधि
- xix. सीजीडब्ल्यूबी के प्रतिनिधि
- xx. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के प्रतिनिधि
- xxi. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के प्रतिनिधि
- xxii. भूविज्ञान विभाग, पोंडिचेरी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि
- xxiii. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के प्रतिनिधि
- xxiv. भूविज्ञान विभाग, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय, पुणे के प्रतिनिधि

- xxv. पृथ्वी विज्ञान आईआईएसईआर कोलकाता के प्रतिनिधि
- xxvi. भूवैज्ञानिक अध्ययन इकाई भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के प्रतिनिधि
- xxvii. हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड (एचजेडएल)
- xxviii. जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर (जेएनएआरडीडीसी)
- xxix. मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)
- xxx. एसबीआई कैप्स

सीजीपीबी समिति-X(भूविज्ञान अनुसंधान और नवाचार और भूविरासत) के लिए विचारार्थ विषय

भूविज्ञान अनुसंधान और नवाचार:

1. भूविज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिज प्रणाली अनुसंधान पर जोर दिया गया है।
2. क्रस्ट और लिथोस्फीयर में भूवैज्ञानिक प्रक्रिया, पृथ्वी के विकास, खनिजों के स्थानीयकरण आदि की बेहतर समझ को प्रोत्साहित करने के लिए।
3. भूविज्ञान में शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करना और भूविज्ञान प्रतिभा के पूल को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से उच्च स्तर पर भूवैज्ञानिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सिफारिशें करना।
4. भूवैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित नीति की समीक्षा करना और अनुसंधान अवसंरचना, वित्तपोषण आदि में सुधार के लिए सिफारिशें करना; और क्षेत्रीय कार्यपद्धतियों और भूविज्ञान अनुसंधान के बीच बेहतर आपसी समन्वय सुनिश्चित करना।
5. प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने के लिए उपकरणों (विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक) और कार्यप्रणाली में वैश्विक तकनीकी प्रगति की लगातार समीक्षा करना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर लाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों की सिफारिश करना।
6. इष्टतम उपयोग के लिए विभिन्न संगठनों के साथ उपलब्ध प्रयोगशाला सुविधाओं को साझा करने की सुविधा और समन्वय प्रदान करना।
7. खनिज गवेषण और खनन में नई और कुशल तकनीकों को विकसित करने, नए खनिज संसाधनों का पता लगाने, मूल्य संवर्धन, अधिकतम उपयोग और मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य को बढ़ावा देना।
8. मानक संदर्भ सामग्री की तैयारी में विभिन्न संगठनों की भागीदारी।
9. क्षेत्रीय और प्रयोगशाला तकनीकों में मौजूदा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण या अन्य ज्ञान अधिग्रहण उपायों द्वारा राज्यों और केंद्रीय संस्थानों के भीतर भूवैज्ञानिक ज्ञान में सुधार करने में मदद करना और भविष्य के लिए कार्मिकों के ज्ञान सेट का सुझाव देना।
10. विभिन्न संगठनों के दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्यकलाप डोमेन और कार्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
11. संग्रहालय, भूवैज्ञानिक और रासायनिक अध्ययन के लिए और प्रदर्शनी और प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए पृथ्वी विज्ञान नमूनों का संग्रह, रखरखाव, संरक्षण और दस्तावेजीकरण।

भू-विरासत:

12. भू-विरासत और भू-पर्यटन स्थलों की पहचान और घोषणा, वर्गीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करना।
13. भूपर्यटन / भू-उद्यान के लिए उनके विकास के संदर्भ में मौजूदा स्थलों या स्थलों के समूह का पुनःआकलन।

14. राष्ट्रीय महत्व के भू-पुरावशेषों के संरक्षण और रखरखाव के लिए उपायों का सुझाव देना।
15. भू-विरासत और भू-पर्यटन स्थलों के बारे में जनता के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने और उसे बढ़ाने के लिए, प्रशंसा और संरक्षण को प्रोत्साहित करना।
16. भू-विरासत स्थलों की पहचान, संरक्षण, सुरक्षा और रखरखाव में क्षमता निर्माण प्रदान करना।

समिति के पास समिति के सार्थक विचार-विमर्श के लिए आवश्यक समझे जाने पर अन्य संस्थानों को आमंत्रित सदस्य के रूप में सह-चयनित करने की शक्ति होगी।

समिति XI: भू-आंकड़ा भंडार, डिजिटल अवसंरचना और भूविज्ञान में एआई

अध्यक्ष: उप महानिदेशक, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता

सदस्य सचिव: निदेशक (टीसी), आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता

मुख्य उद्देश्य: हितधारकों के अंतर-संचालनीय भूवैज्ञानिक डेटाबेस के बीच कुशल डेटा संग्रह, प्रबंधन और साझाकरण सुनिश्चित करना और भूविज्ञान अनुसंधान में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना। भविष्यसूचक खनिज गवेषण और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए आधारभूत भूविज्ञान डेटा, मशीन लर्निंग और एआई का लाभ उठाने के लिए।

सदस्य:

1. निदेशक (तकनीकी), खान मंत्रालय
2. नीति आयोग
3. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)
4. मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)
5. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस)
6. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) (भू-स्थानिक नीतियों और मुद्दों से संबंधित)
8. भू संसाधन विभाग
9. परमाणु खनिज गवेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी)
10. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भूविज्ञान और खनन निदेशालय
11. तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी)
12. हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)
13. भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन्स एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी-एन)
14. भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई)
15. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एन.आर.एस.सी.)
16. राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई)
17. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)
18. उप महानिदेशक, बेसलाइन मैपिंग और अनुसंधान, मिशन मंथन, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता

19. उप महानिदेशक, डेटा विज्ञान, एनालिटिक्स और प्रकाशन, मिशन मंथन, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता
20. उप महानिदेशक, महत्वपूर्ण खनिज, मिशन अमृत, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली
21. उप महानिदेशक, लौह, बहुमूल्य और अन्य खनिज, मिशन अमृत, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली
22. उप महानिदेशक, एनसीईजीआर, मिशन मंथन, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता
23. उप महानिदेशक और एचओडी, आरएसएस, मिशन मंथन, जीएसआई, बंगलुरु
24. निदेशक, पीएसएस-3, जीएसआई, मुख्यालय कार्यालय, कलकत्ता; प्रशिक्षण संस्थान, निदेशक, जीएसआई, निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, एनसीआर मुख्यालय, जीएसआई, नई दिल्ली

स्थायी आमंत्रितगण:

- i. डीडीजी (एनआईसी)
- ii. तकनीकी निदेशक (एनआईसी), खान मंत्रालय
- iii. प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि जिसे राज्य के सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) द्वारा नामित किया जाएगा
- iv. राष्ट्रीय स्थानिक डेटा अवसंरचना (एनएसडीआई)
- v. राष्ट्रीय भू-स्थानिक कार्यक्रम (तत्कालीन एनआरडीएमएस)
- vi. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)
- vii. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)
- viii. महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (एमआरएसएसी)
- ix. कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (केएसआरएसएसी)

सीजीपीबी समिति-XI (भूविज्ञान में जियो-डेटा रिपॉजिटरी, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और एआई) के लिए विचारार्थ विषय

1. हितधारकों के अंतर-संचालनीय भूवैज्ञानिक डेटाबेस के बीच कुशल डेटा संग्रह, प्रबंधन और साझाकरण सुनिश्चित करने तथा भूविज्ञान अनुसंधान में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना।
2. भूविज्ञान कार्यकलाप में नवीनतम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, एक सुदृढ़ स्थानिक और विशेषता डेटाबेस के साथ भू-डेटा भंडार विकसित करना।
3. एनएसडीआई आर्किटेक्चर के तहत सामान्य मानकों और साझा डेटाबेस विकसित करने के लिए भूवैज्ञानिक एजेंसियों के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए और समय-समय पर भूवैज्ञानिक डेटा संवर्धन और विकास समिति (जीडीपीडीसी) के निर्देशों के अनुरूप; और इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से भूवैज्ञानिक जानकारी के व्यापक और आसान प्रसार को प्रोत्साहित करना।
4. सभी हितधारक संगठनों द्वारा गवेषण से संबंधित भूवैज्ञानिक रिपोर्ट / डेटा के अनिवार्य प्रस्तुतीकरण और निरंतर उन्नयन द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा भंडार (एनजीडीआर) पोर्टल की उपयोगिता को बढ़ाना।
5. सभी हितधारकों के बीच डेटा साझा करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) विकसित करना।
6. देश भर में खनिज गवेषण कार्यक्रमों के प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भूविज्ञान डेटा, मशीन लर्निंग और एआई का लाभ उठाते हुए, भू-सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करके खनिज संभावित मानचित्रण को बढ़ाने के लिए, भविष्यसूचक खनिज गवेषण और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण।
7. आईबीएम द्वारा विकसित खनन टेनमेंट और रजिस्ट्री प्रणाली के साथ समन्वय करना।

8. गुणवत्ता और विशिष्ट भू-स्थानिक और गैर-स्थानिक डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए सीजीपीबी के लिए नीति और सलाह तैयार करना।
9. 3डी और मॉडलिंग आउटपुट तैयार करने के लिए डोमेन समृद्ध सॉफ्टवेयर के उपयोग के माध्यम से डेटा के परिष्कृत प्रबंधन के लिए नई कार्यप्रणाली विकसित करना।
10. जीएसआई पोर्टल के संदर्भ में समिति के कार्यकलाप डोमेन से संबंधित अब तक किए गए कार्य की समीक्षा करना।

समिति के पास समिति की सार्थक विचार-विमर्श के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य संस्थानों को आमंत्रित सदस्य के रूप में सह-चयनित करने की शक्ति होगी।

फरीदा एम. नाईक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

RESOLUTION

New Delhi, the 24th July, 2026

F. No. M.I-4/1/2021-Mines I--- In supersession of this Ministry's Resolution No. 4(2)97-M.I dated 12.03.2009 (hereinafter referred to as the principal resolution) and its subsequent resolutions amending the principal resolution vide resolution No 4(2)/97-M-I dated 08.06.2009, No.4(6)/2013-M.I dated 07.05.2013, No.M.I-4/1/2017-Mines-I dated 10.12.2018, No. M.I-4/1/2019-Mines I dated 17.05.2019 and No.M.I-4/1/2021-Mines I dated 18.08.2023 regarding reconstitution of the Central Geological Programming Board (CGPB) and its twelve committees, it has been decided by the Central Government in the Ministry of Mines to adopt the following new Resolution, ordered with immediate effect —

The Central Geological Programming Board (CGPB) was established through the Government of India Resolution dated 27th July, 1966. The CGPB was constituted primarily to coordinate activities on geological mapping and mineral prospecting, exploration, and exploitation in the country, with the Geological Survey of India (GSI) as the nodal department and State Geology and Mining Departments and Central Government institutions as the participating members. Besides drawing up inter-se priorities among various schemes of geological investigations and exploration for minerals in different parts of the country, the Board was also assigned the task of making broad recommendations on policy and HR development, etc., in the Geoscience sector. Subsequently, to complement the activities of the CGPB, State Geological Programming Boards (SGPB) were constituted in the States to coordinate geoscience activities within the State and to interface with the CGPB and GSI.

2. In the CGPB meeting of 1970, it was decided to set up theme-based Committees under the Board to review the various ongoing programs of GSI and other central agencies as well as the State Government departments and assist in policy planning and program formulation based on the plan objectives of the Government. It was decided that the Committees shall make available their reports and recommendations for use in each CGPB meeting. Accordingly, 12 committees were constituted, which functioned till 2002 when it was reconstituted into seven theme-based committees, and later again reinstated to 12 committees in 2009. Now, with the advent of modern technology in geosciences and emerging scenario in the mineral sector, the committees shall be restructured to 11 Committees covering different aspects of geoscience.

3. There have been 65 meetings of the Board since 1966, and the CGPB has emerged as the crucial mechanism for coordinating the geological programmes of the country on an annual basis.

4. During the last 60 years, there has been an enormous increase in geoscientific knowledge, and new technologies have developed to explore and understand Earth systems better. The geoscientific underpinnings of many natural and man-made processes are being appreciated to a much greater extent, and as such, the scope of the coordinating mechanism of CGPB needs to be broadened to encompass-

- Generation, management, and integration of baseline geoscience data.
- Natural resource assessment including minerals, fossil energy, geothermal etc., with special emphasis on critical minerals.

- Mineral characterization and beneficiation, promoting research and development on mineral beneficiation, processing and extraction techniques.
- Multidisciplinary geoscience, including geotechnical studies, natural, biological and chemical geohazards, as well as fundamental geoscience.
- Geoinformatics including data management, archiving, and dissemination, with particular emphasis on spatial data, geographical information systems and advanced interpretative tools utilizing AI/ML/DL.
- Promoting innovation and infusion of global technological advancements (analytical and scientific).
- Identification, preservation, protection and maintenance of geo-heritage sites and geo-relics of national importance, for geological studies, education, research and awareness purposes.
- Issue relating to sustainable development including balanced and scientific use of natural resources.

5. The National Mineral Policy 2008, National Mineral Exploration Policy 2016, National Mineral Policy 2019 and subsequently the recent amendments in MMDR Act aims to enhance transparency, promote sustainable practices, encourage private sector participation in the Mining Sector; the need of exploration and development of critical and strategic minerals and adoption of technological advancement in mineral exploration added urgency to the necessity of revamping of the CGPB mechanism.

6. To encompass the other fields of geoscience, such as geophysics and geochemistry in addition to geology that plays a vital role in understanding the subsurface architecture and identifying new deep-seated/concealed mineral prospects, it has been decided to reconstitute and rechristen the Central Geological Programming Board as '**Central Geoscience Programming Board (CGPB)**'. Moreover, to ensure broader participation and effective decision-making within the CGPB, it is felt necessary to expand stakeholder representation by including additional Central Government Ministries, Departments, Heads of Organizations, and Notified Private Exploration Agencies (NPEAs).

7. It is, therefore, ordered that with immediate effect, the Central Geoscience Programming Board shall be constituted as follows: —

- | | |
|---|----------------|
| (a) Secretary, Ministry of Mines | - Chairman |
| (b) Director General, Geological Survey of India | - Member |
| (c) Additional Secretary, Ministry of Mines | - Member |
| (d) Joint Secretary (Policy), Ministry of Mines | - Member |
| (e) Representatives (not below the rank of Joint Secretary) from | - Members (15) |
| (i) Ministry of Environment, Forest and Climate Change | |
| (ii) Ministry of New and Renewable Energy | |
| (iii) Ministry of Earth Sciences | |
| (iv) Ministry of Civil Aviation | |
| (v) Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation | |
| (vi) Ministry of Coal | |
| (vii) Ministry of Steel | |
| (viii) Ministry of Defence | |
| (ix) Ministry of Petroleum and Natural Gas | |
| (x) Ministry of Power | |
| (xi) Ministry of Electronics & Information Technology | |
| (xii) Ministry of Home Affairs | |

- (xiii) Department of Science & Technology
- (xiv) Department of Space
- (xv) Department of Atomic Energy

- (f) Advisor (Minerals), NITI Aayog - Member

- (g) Heads of Central Organizations from: - Members (33)
 - (i) Central Ground Water Board (CGWB)
 - (ii) Central Water Commission (CWC)
 - (iii) Indian Bureau of Mines (IBM)
 - (iv) Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)
 - (v) Coal India Limited (CIL)
 - (vi) CSIR-Central Institute of Mining and Fuel Research (CIMFR)
 - (vii) Central Mine Planning & Design Institute Limited (CMPDI)
 - (viii) The Singareni Collieries Company Limited (SCCL)
 - (ix) NLC India Limited
 - (x) IIT (ISM) Dhanbad
 - (xi) National Geophysical Research Institute (NGRI)
 - (xii) Wadia Institute of Himalayan Geology (WIHG)
 - (xiii) Directorate General of Hydrocarbons (DGH)
 - (xiv) Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
 - (xv) The Keshava Deva Malaviya Institute of Petroleum Exploration (KDMIPE)
 - (xvi) Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD)
 - (xvii) Survey of India (SOI)
 - (xviii) Geological Society of India
 - (xix) The Mining, Geological and Metallurgical Institute of India (MGMI India)
 - (xx) Central Pollution Control Board (CPCB)
 - (xxi) CSIR-National Environmental Engineering Research Institute (NEERI)
 - (xxii) National Remote Sensing Centre (NRSC)
 - (xxiii) National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR)
 - (xiv) CSIR-National Institute of Oceanography (CSIR-NIO)
 - (xv) Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre (JNARDDC)
 - (xvi) National Mineral Exploration & Development Trust (NMEDT)
 - (xvii) National Disaster Management Authority (NDMA)
 - (xviii) NMDC Limited

- (xxix) MOIL Limited
 - (xxx) CSIR-IMMT, Bhubaneswar
 - (xxxi) Archaeological Survey of India (ASI)
 - (xxxii) IIT, Bombay
 - (xxxiii) IIT, Kharagpur
- (h) Secretaries to the State Governments, Mining and Geology/Industry/Department (Directors, Mining & Geology would be Permanent Invitees) - Members
- (i) Representatives of Industry, from organizations, namely: - Members (13)
- (i) Federation of Indian Mineral Industries (FIMI)
 - (ii) Confederation of Indian Industry (CII)
 - (iii) Tata Steel
 - (iv) Rungta Mines
 - (v) Geomysore Services India Pvt. Ltd.
 - (vi) Hindustan Zinc Limited (HZL)
 - (vii) Geovale Services Private Limited
 - (viii) MMPL Private Limited (formerly Maheshwari Mining Pvt. Ltd.)
 - (ix) Gemcokati Exploration Private Limited
 - (x) Critical Mineral Trackers
 - (xi) United Exploration India Private Limited
 - (xii) Mining Tech Consultancy Services Limited, Adani Group
 - (xiii) Geomarine Solutions Pvt. Ltd.
- (j) Addl. Director General, Regions; ADG, Geophysics, Mission MANTHAN & AMRIT, Bengaluru; Dy. DG & Head, M&CS, RSAS, GSITI, NEnR; Dy. DG, NCEGR, Mission MANTHAN, CHQ, Kolkata; All Dy.DGs, Mission AMRIT, NCR HQ; DDG, IT Infrastructure & Services CHQ, Kolkata; Dy. DG, International Affairs & Curatorial, CHQ, Kolkata, Geological Survey of India (GSI) - Members
- (k) Addl. Director General/Dy. Director General, Policy Support System, Geological Survey of India (GSI) - Member Secretary

The Chairman may also nominate a special representative of any other organization related to geoscience as a Special Invitee to a meeting of the Board or as a Permanent Invitee to all meetings of the Board.

8. The Central Geoscience Programming Board shall meet once a year and shall be responsible to:

- (i) provide the general strategic direction of geoscience activity in relation to GSI and other stakeholders and advise the Ministry of Mines on policy issues in geosciences.
- (ii) effective program coordination among central agencies in the sector and promote multidisciplinary/multi-institutional approaches.

- (iii) enable better interaction between Central agencies and State-level organisations for coordinated planning and execution.
- (iv) enhancing coordination between Central, State and Private exploration agencies for better decision making, increased efficiency and improved public-private partnership.
- (v) help build training, human resource, and research capability within the sector, particularly at the State level, and coordinate the capability for optimum use.
- (vi) identify new areas and new technologies for geoscientific activities and advise on adoption strategies.
- (vii) advise on Geoscience partnership and collaborative approach between GSI, IBM and Central, State Level or other agencies, including research and academic institutions.
- (viii) actively promote the use of Information Technology /digital platform in geoscience for data sharing, project management, and transparent decision making; increasing use of NGDR for dissemination of geoscientific data to all the stakeholders; integration of Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML) for better mineral targeting.

A detailed report of the status, with recommendations for the future, in respect of each of the items at Sl. No. (i) to (viii) shall be laid before the Board. The Annual Field Season Program of Geological Survey of India (GSI) will be placed for discussion in the CGPB meeting. Post the annual CGPB meeting, there shall be periodic follow-up reviews (twice, after every 4 months) on the actionable points of the meeting.

9. The Central Geoscience Programming Board (CGPB) shall be supported by 11 committees for the various sub-sectors as follows: -

- i. I: Ferrous Minerals (Iron, Manganese and Chromite)
- ii. II: Precious Metals, Non-Ferrous Minerals and Industrial Minerals (Precious Metals- Gold, Diamond, Precious Stones; Non-Ferrous Minerals- Base metals (Copper, Lead, Zinc) and Bauxite; Industrial Minerals- Limestone, dolomite, quartz and quartzite, feldspar, mica, barite, refractories (kyanite, sillimanite, pyrophyllite), magnesite, clays, fire clays, wollastonite, vermiculite, zeolites, garnets, asbestos, ilmenite, fluorite, steatite, dimensional stone, silica sand, gypsum)
- iii. III: Critical and Strategic Minerals- Discoveries and Development (Beryl, Cadmium, Cobalt, Gallium, Glauconite, Graphite, Indium, Lithium, Molybdenum, Nickel, Niobium, Phosphate (without uranium), Platinum Group of Element bearing minerals, Potash, Rare Earth Elements, Rhenium, Selenium, Tantalum, Tellurium, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zirconium)
- iv. IV: Mineral Characterization and Beneficiation
- v. V: Energy Minerals and Resources (Coal, Lignite, Geothermal, Natural Hydrogen & Shale Gas, etc.)
- vi. VI: Off-shore Survey & Mineral Exploration
- vii. VII: Geoscience Survey & Mapping (Ground & Airborne)
- viii. VIII: Geology & Mineral Resources of North-Eastern Region
- ix. IX: Geohazards & Disaster Risk Management (Geotechnical Investigation, Natural Hazards, Climate Change, Environmental Geology, Polar studies, Subsurface Hydrology)
- x. X: Geoscience Research & Innovation and Geo-heritage
- xi. XI: Geo-data Repository, Digital Infrastructure and AI in Geosciences

The composition and terms of reference of the CGPB Committees will be as given in Annexure A. The Committees shall submit recommendations to the Central Board in respect of the respective theme. State Geological Programming Board (SGPB) meetings are to be conducted at the State level by State DGMs/ DMGs every year, before holding CGPB (I-XI) meetings. Recommendations of the SGPB meetings will be considered in the CGPB (I-XI) meetings as well as the annual meeting of the Central

Board. The accepted items will be included in the Annual Field Season Proposal to be brought to the meeting.

10. The committee shall continuously monitor programme activity and make recommendations to better implement, in particular, the following mandates emanating from the National Mineral Policy 2008, National Mineral Exploration Policy 2016, National Mineral Policy 2019 and the recent amendments in MMDR Act through the program mode:

- (a) “The Geological Survey of India (GSI), the Indian Bureau of Mines (IBM), and the State Directorates of Mining & Geology will be strengthened with manpower, equipment, and skill sets upgraded to the level of state-of-the-art.” {Para 2.2 of NMP 2008}
- (b) “To explore the country’s entire geological potential, it shall be ensured that regional and detailed exploration is carried out systematically, scientifically and intensively over the entire geologically conducive mineral bearing area of the country, using state-of-the-art technologies, including seismic 2D/3D interpretative systems, in a time-bound manner.” {Para 4.1 of NMP 2019}
- (c) “The Geological Survey of India is the principal agency for geological mapping and regional mineral resources assessment of the country. It shall be responsible for drawing up action-oriented plans towards these ends in close cooperation with all other agencies engaged in this task. Detailed exploration on land is done by the Mineral Exploration & Consultancy Limited, Directorates of Mining and Geology of the State Governments, various Central and State Public Sector Organisations as well as private agencies. In conducting exploration for minerals, special attention will be given by these government agencies to the development of critical and strategic minerals through systematic investigation of potential sources which are difficult to otherwise access.” {Para 5.1 of NMP 2008, MMDR Amendment Act 2021, 2023}
- (d) “While the Government agencies will continue to perform the tasks assigned to them for survey and exploration, the private sector would be encouraged to take up exploration activities. Government agencies will expend public funds particularly in areas where private sector investments are not forthcoming due to reasons such as high uncertainties.” {Para 4.2 of NMP 2019}
- (e) “Particular attention will be given to the prospecting and exploration of minerals in which the country has a poor resource-cum-reserve base despite having the geological potential for large resources. Special attention will be given towards exploration of energy critical minerals, fertilizer minerals, precious metals and stones, strategic minerals and other deep-seated minerals which are otherwise difficult to access and for which the country is mainly dependent on imports.” {Para 4.3 of NMP 2019}
- (f) “In the offshore areas, it is necessary to ensure that India’s exclusive economic zone is explored and exploited to the maximum possible extent. Cooperation between MoES and GSI needs to be further institutionalised so as to achieve this objective within a time-bound framework. Integrated systems for prospecting, exploration, extraction, mining and processing of these resources shall be expedited with the development/acquisition of necessary technologies.” {Para 4.6 & Para 9.5 of NMP 2019}
- (g) “Attention will be given to beneficiation and agglomeration techniques to bring lower grades and finer size material into use. Research organisations, including the National Mineral Processing Laboratories of the Indian Bureau of Mines will be strengthened for development of processes for beneficiation and mineral and elemental analysis of ores and ore dressing products. There shall be cooperation between and coordination among all organisations in public and private sector engaged in this task. Research and development shall be oriented to ensure maximum economic recovery of the associated minerals and valuable metals including incentivization and promotion of state-of-the-art technology. Appropriate educational and training facilities may be established to promote research and development in ore dressing and beneficiation technologies”
{Para 2.7 of NMP 2008 and Para 9.3 of NMP 2019}.
- (h) “Research will be directed towards raw materials required for production of materials of high purity for use in advanced technology applications such as semi-conductors, photo-voltaic, lasers, special sensors, high temperature new ceramics, hard and high temperature materials,

superconductors, insulators, very thin films, glasses and liquid crystals and metal and mineral fibres.” {Para 9.6 of NMP 2019}

- (i) “Coordination, synergy and convergence among the various institutions engaged in R&D in the mineral sector shall be strengthened to derive the maximum benefit. Interchange of scientists between institutions shall be encouraged to accelerate the pace of interaction. It shall also be ensured that the research findings are made available to users expeditiously. There shall be cooperation between and coordination among all organisations in the public and private sectors engaged in this task.” {Para 9.7 of NMP 2019}
- (j) “A thrust will be given to extraction of mineral resources in which the country is well endowed so that the needs of domestic industry are fully met keeping in mind both present and future needs, while at the same time fulfilling the demand of external markets for such minerals, so as to enhance domestic economic and social well-being. Though primary minerals will remain the principal source for fulfilling demand, efforts shall be made to augment supply by developing processes for the recovery of metal through recycling.” {Para 6.1 of NMP 2019}
- (k) “Exploration and Mining are closely linked with forestry and environmental issues. A significant part of the nation’s mineral resources/ reserves is in areas which are under forest cover. Clearances shall be streamlined with simpler, transparent, accountable, and time-bound procedures to facilitate exploration in order to conform to the statutory requirements, especially for geologically complex deposits.” {Para 4.5 of NMP 2019}
- (l) The country will need more manpower in the form of geologists, geophysicists, chemists, mining engineers etc. A comprehensive review of the sector’s manpower needs, particularly of GSI and IBM, will be assessed. The organizations will be geared to meeting these needs in medium and long term. {Para 7.6 of NMP 2008}
- (m) The Government will make available pre-competitive baseline geoscience data of the highest standards for open dissemination, free of charge. This data will be continuously updated and benchmarked with that of other jurisdictions. {Para 4.1 (i) of NMEP 2016}
- (n) Private sector participation in exploration will be encouraged within the existing legal framework. Government will work out suitable models for incentivizing private sector explorers from time to time. {Para 4.1 (vi) of NMEP 2016}
- (o) Government will collaborate with scientific and research bodies, universities and industry for the scientific and technological development necessary for exploration. {Para 4.1 (vii) of NMEP 2016}
- (p) State Governments have a key role to play in building up a steady stream of auctionable mineral prospects. They will have to take up mineral exploration reports prepared by the GSI or other agencies and build on them to complete G3 or G2 level of exploration. States also need to build up the exploration capabilities of their staff. The Central Government will have to provide suitable incentives to expedite this process. Capacity building of States will be supported by the NMET. {Para 15.1 of NMEP 2016}

11. There shall be a dedicated full-time secretariat for the Central Geoscience Programming Board and for each of the committees, which shall be serviced by the GSI. Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, New Delhi and Director, PSS, GSI shall be present in the committee meetings of the Central Geoscience Programming Board for better coordination and implementation of the projects.

12. To facilitate coordinated planning, taking into account state level priorities for survey, mapping, exploration, and other geoscientific activities, and also to help factor in state level requirements for training, HR and technical capacity building into programmatic framework, each State government is encouraged for timely conduct of the State Geological Programming Board meetings. To better serve the geoscientific interest of the State Government, the meeting shall be conducted before the commencement of Committee Meetings of the Central Geoscience Programming Board to enable the Recommendations of the State Board to form the primary input for the Central Board and its Committees. The State Level Boards may include local representatives from GSI and other Central and State level Stakeholders and private agencies having an interest in the State Level geoscientific programme and may be mandated with activities at State Level similar in nature and scope as the Central Board.

Annexure A**COMPOSITION AND TERMS OF REFERENCE OF THE COMMITTEES****COMMITTEE I: Ferrous Minerals
(Iron, Manganese and Chromite)**

Chairman: Addl. Director General, GSI, Eastern Region (ER), Kolkata

Member Secretary: Director, Policy Support System, GSI, ER, Kolkata

Key objective: To monitor, manage and prepare strategy for the exploration of Ferrous minerals (Iron, Manganese and Chromite)

Members:

1. Ministry of Steel
2. Director (Tech.), Ministry of Mines
3. Director (Policy), Ministry of Mines
4. Ministry of Environment, Forest and Climate Change
5. DMG, Govt. of Karnataka
6. DMG, Govt. of Andhra Pradesh
7. DMG, Govt. of Goa
8. DGM, Govt. of Rajasthan
9. DGM, Govt. of Maharashtra
10. MRD, Govt. of Madhya Pradesh
11. DGM, Govt. of Chhattisgarh
12. DMG, Govt. of Jharkhand
13. DG, Govt. of Orissa
14. Indian Bureau of Mines (IBM)
15. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)
16. Tata Steel
17. National Mineral Exploration & Development Trust (NMEDT)
18. Dy. DG, Ferrous, Precious & Other Minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, GSI, New Delhi
19. Dy. DG, Ferrous & Base Metals, Mission AMRIT, GSI (ER, CR, SR, WR)
20. Dy. DG, Mission AMRIT, GSI (NER, NR)
21. Director, PSS-2, GSI, CHQ, Kolkata; Director, GSI Training Institute and Director, CGPB Secretariat, NCR, HQ, GSI, New Delhi

Permanent Invitees:

- i. NMDC Limited
- ii. Odisha Mining Corporation Limited (OMC)
- iii. Jindal Steel and Power Ltd. (JSPL)
- iv. Manganese Ore (India) Ltd. (MOIL)
- v. Steel Authority of India Limited (SAIL)

- vi. United Exploration India Pvt. Ltd
- vii. JSW Steel

COMMITTEE II: Precious Metals, Non-Ferrous Minerals, and Industrial Minerals

[Precious Metals- Gold, Diamond, Precious Stones; Non-Ferrous Minerals- Base metals (Copper, Lead, Zinc) and Bauxite; Industrial Minerals- Limestone, dolomite, quartz and quartzite, feldspar, mica, barite, refractories (kyanite, sillimanite, pyrophyllite), magnesite, clays, fire clays, wollastonite, vermiculite, zeolites, garnets, asbestos, ilmenite, fluorite, steatite, dimensional stone, silica sand, gypsum]

Chairman: Addl. Director General, GSI, Southern Region (SR), Hyderabad

Member Secretary: Director, Policy Support System, GSI, Southern Region (SR), Hyderabad

Key objective: To identify, assess, and strategize the exploration of Precious Metals, Non-Ferrous Minerals, and Industrial Minerals and further develop, promote advanced mineral processing technologies and techniques.

Members:

1. Director (Metal-I), Ministry of Mines
2. Director (Tech.), Ministry of Mines
3. Director (Mines-IV), Ministry of Mines
4. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC)
5. DGM, Govt. of Odisha
6. DGM, Govt. of Madhya Pradesh
7. DGM, Govt. of Chhattisgarh
8. DGM, Govt. of Rajasthan
9. DGM, Govt. of Jharkhand
10. CGM, Govt. of Gujarat
11. DGM, Govt. of Karnataka
12. DGM, Govt. of Jammu & Kashmir
13. CGM, Govt. of Tamil Nadu
14. DMG, Govt. of Andhra Pradesh
15. DMG, Govt. of Telangana
16. DGM, Govt. of Maharashtra
17. DGM, Arunachal Pradesh
18. DGM, Assam
19. DGM, Govt. of Uttar Pradesh
20. DMG, Govt. of Meghalaya
21. DGM, Govt. of Bihar
22. Federation of Indian Mineral Industries (FIMI)
23. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)
24. Indian Bureau of Mines (IBM)
25. National Geophysical Research Institute (NGRI)

26. Hindustan Copper Limited (HCL)
27. National Aluminium Company Limited (NALCO)
28. Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre (JNARDDC)
29. Geo Mysore Services (India) Ltd.
30. National Mineral Exploration & Development Trust (NMEDT)
31. Dy. DG, Ferrous, Precious & other minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, GSI, New Delhi
32. Dy. DG, Precious & Other Minerals, Mission AMRIT, GSI (ER, CR, SR, WR)
33. Dy. DG, Mission AMRIT, GSI (NER, NR)
34. Director, PSS-2, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi

Permanent Invitees:

- i. Hutti Gold Mines Company Ltd. (HGML)
- ii. Rungta Mines Pvt Ltd.
- iii. Deccan Gold Mining Ltd.
- iv. Ramgad Mining and Minerals Pvt. Ltd.
- v. NMDC Limited
- vi. Aditya Birla Group (Essel Mining)
- vii. IIT (ISM) Dhanbad
- viii. CSIR- IMMT, Bhubaneswar, Odisha
- ix. MMPL Private Limited (formerly Maheshwari Mining Pvt. Ltd.)
- x. Geovale Services Pvt. Ltd.
- xi. GeoExpOre Pvt. Ltd.
- xii. Gemcokati Exploration Private Limited
- xiii. FCI Aravalli Gypsum and Minerals India Ltd.
- xiv. Rajasthan State Mines and Minerals Limited (RSMML)
- xv. Ultratech Cement
- xvi. HINDALCO
- xvii. Hindustan Zinc Limited (HZL)
- xviii. Dalmia Bharat Limited (DBL)
- xix. Jharkhand Exploration and Mining Corporation (JEMCL)

COMMITTEE III: Critical & Strategic Minerals - Discoveries and Development

[Beryl, Cadmium, Cobalt, Gallium, Glauconite, Graphite, Indium, Lithium, Molybdenum, Nickel, Niobium, Phosphate (without uranium), Platinum Group of Element bearing minerals, Potash, Rare Earth Elements, Rhenium, Selenium, Tantalum, Tellurium, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium and Zirconium]

Chairman: Addl. Director General, GSI, Western Region (WR), Jaipur

Member Secretary: Director, Policy Support System, GSI, Western Region (WR), Jaipur

Key objective: To identify, assess, and strategize the exploration of critical and strategic minerals essential for industrial and strategic applications.

Members:

1. Director (NCMM), Ministry of Mines
2. Director (Tech.), Ministry of Mines
3. Ministry of Coal
4. Department of Fertilizer (Director level)
5. DMG, Govt. of Andhra Pradesh
6. DGM, Govt. of Rajasthan
7. DGM, Govt. of Maharashtra
8. CGM, Govt of Tamil Nadu
9. DGM, Govt. of Karnataka
10. DGM, Govt. of Odisha
11. DGM, Govt. of Jharkhand
12. DGM, Govt. of Madhya Pradesh
13. DGM, Govt. of Chhattisgarh
14. CGM, Govt. of Gujarat
15. DGM, Govt. of Jammu & Kashmir
16. DMG, Govt. of Telangana
17. DGM, Arunachal Pradesh
18. DGM, Assam
19. DMM, West Bengal
20. Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD)
21. Indian Bureau of Mines (IBM)
22. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)
23. The Energy and Resources Institute (TERI)
24. National Mineral Exploration & Development Trust (NMEDT)
25. Dy. DG, Critical Minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, GSI, New Delhi
26. Dy. DG, Critical Minerals, Mission AMRIT, GSI (ER, CR, SR, WR)
27. Dy. DG, Mission AMRIT, GSI (NER, NR)
28. Director, PSS-2, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi

Permanent Invitees:

- i. Defence Research and Development Organisation (DRDO), Hyderabad
- ii. Hindustan Copper Limited (HCL)
- iii. National Aluminium Company Limited (NALCO)
- iv. Defence Metallurgical Research Laboratory (DMRL), New Delhi
- v. HINDALCO

- vi. CSIR-IMMT, Bhubaneswar
- vii. IREL (India) Limited, Kerala
- viii. Kerala Rare Earths and Minerals Ltd.
- ix. Bhabha Atomic Research Centre (BARC)
- x. Natural Resources Division, Tata Steel
- xi. Geovale Services Pvt. Ltd.
- xii. Hindustan Zinc Limited (HZL)
- xiii. Critical Mineral Trackers
- xiv. Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre (JNARDDC)

TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEES (Committee I to III) OF THE CGPB

Committee I: Ferrous Minerals; Committee II: Precious Metals, Non-Ferrous Minerals and Industrial Minerals; Committee III: Critical & Strategic Minerals - Discoveries and Development, were reconstituted with the following terms of reference:

1. To monitor, manage, and strategize the exploration by formulating annual plans as well as long- and short-term perspective plans on a national scale, using state-of-the-art technologies.
2. To promote and enhance exploration activities with the aim of transforming and elevating the mineral sector to greater heights.
3. To review the work carried out so far relating to the activity domain of the Committee including the evaluation of ongoing programs.
4. To coordinate the exploration work by Government, Public and Private Agencies as per the defined plan objectives and priorities.
5. To encourage and strengthen collaboration.
6. To prepare status papers and updating manual of end-user specifications at regular intervals keeping in view progressive advancement of knowledge and technology.
7. To prepare and update the database (including status map) of all regional and detailed exploration involving Central, State and private agencies.
8. To prioritize R&D work and scientific cooperation in the mineral sector related to utilization of low-grade ore, advanced mineral processing technologies and techniques, modernization of field/sampling equipment, mineral beneficiation technology as well as digitalization of mineral inventory.
9. To ensure uploading of the data in the National Geoscience Data Repository (NGDR) as per the Mineral Exploration Reporting Template (MERT) by the CL/ML/EL holders and other agencies engaged in mineral exploration, as per rule, and monitor its availability in public domain after lock-in period through an identified system.
10. To advise Government on human resource development and training of personnel in order to strengthen the manpower of Central and State organizations.

The Committees shall have the power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberation of the Committee.

COMMITTEE IV: Mineral Characterization and Beneficiation

Chairman: Director (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines (IBM), Nagpur, Maharashtra

Member Secretary: Superintending Officer (Ore Dressing), IBM, Nagpur, Maharashtra

Key objective: To promote research and development on mineral beneficiation, processing and extraction techniques to use lower grade ores and recovery from end-of-life products.

Members:

1. Director (Tech.), Ministry of Mines
2. Director (Policy), Ministry of Mines
3. Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD)
4. National Mineral Exploration & Development Trust (NMEDT)
5. NMDC Limited
6. Steel Authority of India Limited (SAIL)
7. National Aluminium Company Limited (NALCO)
8. Mineral Exploration Corporation Limited (MECL)
9. Hindustan Copper Limited (HCL)
10. Hindustan Zinc Limited (HZL)
11. Indian Rare Earth Limited (IREL)
12. CSIR- IMMT, Bhubaneswar
13. CSIR-National Metallurgical Laboratory (NML), Jamshedpur
14. IIT (ISM), Dhanbad
15. DGM, Govt. of Odisha
16. DGM, Govt. of Madhya Pradesh
17. DGM, Govt. of Chhattisgarh
18. DGM, Govt. of Rajasthan
19. DGM, Govt. of Jharkhand
20. CGM, Govt. of Gujarat
21. DGM, Govt. of Karnataka
22. DGM, Govt. of Jammu & Kashmir
23. CGM, Govt. of Tamil Nadu
24. DMG, Govt. of Andhra Pradesh
25. DMG, Govt. of Telangana
26. DGM, Govt. of Maharashtra
27. Nonferrous Materials Technology Development Centre (NFTDC), Hyderabad
28. Hutti Gold Mines Limited (HGML), Karnataka
29. Andhra Pradesh Mineral Development Corporation Limited (APMDC)
30. Rajasthan State Mines and Minerals Limited (RSMML), Rajasthan
31. Gujarat Mineral Development Corporation (GMDC), Gujarat
32. Odisha Mining Corporation Limited (OMC)

33. Tamil Nadu Mineral Limited (TAMIN)
34. Kerala Minerals & Metals Limited (KMML)
35. Dy. DG, Mission AMRIT, NCR HQ, GSI, New Delhi
36. Dy. DG, Mission AMRIT, GSI (All Regions)
37. Dy. DG, NCEGR, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata
38. Director, PSS-2, GSI, CHQ, Kolkata; Director, PSS-4, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi
39. MGMI

Permanent Invitees:

- i. Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre (JNARDDC)
- ii. IIT, Kharagpur (Dept. of Metallurgical & Materials Engineering)
- iii. IIT, Bombay (Dept. of Metallurgical Engineering & Materials Science)
- iv. IIT, Hyderabad (Dept. of Material Science & Metallurgical Engineering)
- v. IISc, Bengaluru (Dept. of Materials Engineering)
- vi. National Institute of Ocean Technology (NIOT), Chennai
- vii. Bhabha Atomic Research Centre (BARC)
- viii. CSIR-NIIST, Trivandrum
- ix. CSIR-NEIST, Jorhat, Assam
- x. Tata Steel
- xi. JSW Steel
- xii. Vedanta Limited
- xiii. HINDALCO

TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE-IV (MINERAL CHARACTERIZATION AND BENEFICIATION) OF THE CGPB

1. To formulate plans for detailed characterization and beneficiation studies of ores of different mineral commodities.
2. To identify technology and knowledge gap, and prepare action plan for critical minerals and development of technology for processing and extraction.
3. To formulate strategy on focused R&D at different stages of beneficiation, processing and ore dressing towards developing appropriate technologies at different levels. This includes prioritizing R&D activities in the thrust areas of the country's mineral sector and recommending the modernization and enhancement of characterization and processing facilities.
4. Review of R&D activities on various ores and critical minerals from primary and secondary sources.
5. To coordinate among stakeholders on beneficiation studies taken up by Government, Public and Private agencies in accordance with the objectives and priorities of the Government.
6. To facilitate mineral industry in beneficiation and processing of low-grade ores and recovery of associated minerals/critical metal values as by-products.
7. To prepare short-term and long-term perspective plans, base documents, manuals and guidelines for end-user specifications of industry and process flowsheets with metallurgical and material balance parameters of commercial plants keeping in view advancement of technology and global best practices.

8. To prepare and update the database of all beneficiation studies conducted by central, State and private agencies.
9. To advise government on mineral conservation and optimum utilization of minerals taking into consideration the future needs of the country through adoption of beneficiation, processing & extraction techniques in tune with global standards.

The Committee shall have the power to co-opt other institutions as invites as felt necessary for fruitful deliberation of the Committee.

COMMITTEE V: Energy Minerals and Resources
(Coal, Lignite, Geothermal, Natural Hydrogen, Shale Gas etc.)

Chairman: Dy. Director General & Head, Natural Energy Resources (NEnR), Mission AMRIT, GSI, CHQ, Kolkata

Member Secretary: Director, NEnR, Mission AMRIT, GSI, CHQ, Kolkata

Key objective: To conduct survey, mapping, research on all non-renewable and renewable natural energy resources

Members:

1. Director (Tech.), Ministry of Mines
2. Ministry of Coal
3. Ministry of New and Renewable Energy
4. NITI Aayog (Advisor/Joint Advisor: Power & Energy)
5. DGM, Govt. of Maharashtra
6. CGM, Govt. of Gujarat
7. DGM, Govt. of Rajasthan
8. DGM, Govt. of Chhattisgarh
9. DMG, Govt. of Jharkhand
10. DMM, Govt. of West Bengal
11. DG, Govt. of Odisha
12. MRD, Govt. of Madhya Pradesh
13. CGM, Govt. of Tamil Nadu
14. DMG, Govt. of Andhra Pradesh
15. DGM, Govt. of Uttar Pradesh
16. DMG, Govt. of Telangana
17. DGM, Govt. of Assam
18. DMG, Govt. of Meghalaya
19. DGM, Govt. of Nagaland
20. DGM, Govt. of Arunachal Pradesh
21. DGMR, Govt. of Mizoram
22. DGM, UT: Ladakh

23. Directorate General of Hydrocarbons (DGH)
24. CSIR-NGRI
25. NLC India Limited
26. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)
27. CMPDI Limited, Ranchi
28. The Singareni Collieries Company Limited
29. CSIR-CIMFR
30. The Energy and Resources Institute (TERI)
31. National Mineral Exploration & Development Trust (NMEDT)
32. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
33. Chief Engineer, CHQ, GSI, Kolkata
34. Dy. DG, Chemistry, GSI, CHQ, Kolkata
35. Dy. DG, Ferrous, Precious & Other Minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, GSI, New Delhi
36. Dy. DG, Precious & Other Minerals, Mission AMRIT, GSI (ER, CR, SR, WR)
37. Dy. DG, Mission AMRIT, GSI (NER, NR)
38. Directors of GSI associated with Energy Minerals & Resources (Coal, Lignite, Geothermal, Natural Hydrogen, Shale Gas etc.); Director, PSS-2, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi

Permanent Invitees:

- i. Steel Authority of India Limited (SAIL)
- ii. Tata Steel
- iii. NTPC Limited
- iv. CSIR-NML, Jamshedpur
- v. The Mining, Geological & Metallurgical Institute of India (MGMI)
- vi. SAC, ISRO
- vii. Centre for Geothermal Energy Research (CGER), CSIR-NGRI
- viii. Adani Enterprises
- ix. Jindal Steel and Power Limited (JSPL)
- x. Reliance Industries
- xi. IIT (ISM), Dhanbad
- xii. IIT, Bombay

TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE-V (ENERGY MINERALS AND RESOURCES) OF THE CGPB

1. To formulate annual plans as well as short- and long-term perspective plans for carrying out regional, detailed and promotional exploration of all non-renewable and renewable natural energy resources.
2. To review the work done so far relating to the activity domain of the Committee including the ongoing programs.

3. To coordinate the exploration work by Government, Public and Private Agencies as per the defined plan objectives and priorities.
4. To facilitate and promote partnership between Central and State organizations and Public-Private partnership in exploration.
5. To prepare status papers and updating manual of end-user specifications at regular intervals keeping in view progressive advancement of knowledge and technology.
6. To report any occurrences of rare earth and trace elements associated with coal.
7. To prepare and update the database (including status map) of all regional and detailed exploration involving Central, State and private agencies.
8. To formulate methodology and act as nodal agency for data sharing and dissemination.
9. To advise government on conservation and optimum utilization of minerals taking into consideration the future needs of the country through adoption of scientific mining, ore dressing and beneficiation technology in tune with global standards.
10. To prioritize Research and Development work pertaining to alternate use of solid fossil fuel in green energy domain and to formulate methodology for exploration and research work for REE and RM in Gondwana sediments and in coal & lignite.
11. To facilitate research development and exploration work of Natural Hydrogen and Shale Gas on a national level.
12. To ensure uploading of the data in the National Geoscience Data Repository (NGDR) as per the Mineral Exploration Reporting Template (MERT) by the CL/ML/EL holders and other agencies engaged in mineral exploration, as per rule, and monitor its availability in public domain after lock-in period through an identified system.
13. To advise Government on human resource development and training of personnel in order to strengthen the manpower of Central and State organizations.

The Committee shall have the power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberation of the Committee.

CGPB COMMITTEE VI: Off-shore Survey & Mineral Exploration

Chairman: Dy. Director General & HoD, GSI, Marine & Coastal Survey (M&CS), Mission MANTHAN, GSI, Mangaluru

Member Secretary: Director, Policy Support System, Mission MANTHAN, GSI, M&CS, Mangaluru

Key objective: Focus on marine mineral resources, including polymetallic nodules, hydrothermal sulfides, and cobalt-rich crusts leveraging the blue economy potential of the country.

Members:

1. Director (Tech.), Ministry of Mines
2. Ministry of Earth Sciences (MoES)
3. Department of Science & Technology (DST)
4. Indian Bureau of Mines (IBM)
5. Directorate General of Hydrocarbons (DGH)
6. DG, Govt. of Odisha
7. DMG, Govt. of Andhra Pradesh
8. CGM, Govt. of Tamil Nadu
9. DMG, Govt. of Kerala
10. DMG, Govt. of Karnataka

11. DGM, Govt. of Maharashtra
12. DMG, Govt. of Goa
13. CGM, Govt. of Gujarat
14. National Centre of Polar & Ocean Research (NCPOR), Goa
15. National Institute of Oceanography (NIO), Goa
16. Atomic Mineral Directorate for Exploration and Research (AMD)
17. National Mineral Exploration & Development Trust (NMEDT)
18. Dy. DG, Baseline Mapping and Research, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata
19. Dy. DG, Critical Minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, New Delhi
20. Dy. DG, M&CS, Mission MANTHAN, GSI, Vishakhapatnam
21. Dy. DG, Geophysics (Instrumentation), M&CS, Mission MANTHAN, GSI, Mangalore
22. Director, PSS-1, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi

Permanent Invitees:

- i. Shipping Corporation of India (SCI), Mumbai
- ii. Indian Navy (IN), New Delhi
- iii. Naval Physical Oceanographic Laboratory (NPOL), Cochin
- iv. National Hydrographic Office (NHO), Dehradun
- v. Space Application Centre (SAC), Ahmedabad
- vi. Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS), Hyderabad
- vii. National Institute of Ocean Technology (NIOT), Chennai
- viii. Coastal Erosion Directorate, Central Water Commission, New Delhi
- ix. Integrated Coastal and Marine Area Management (ICMAM), Chennai
- x. Geomarine Solutions
- xi. National Centre for Coastal Research (NCCR), Chennai
- xii. National Centre for Earth Science Studies (NCESS), Kerala, Thiruvananthapuram
- xiii. Indian Registrar of Shipping (IRS)

TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE-VI (OFF-SHORE SURVEY & MINERAL EXPLORATION) OF THE CGPB

1. To formulate annual as well as short- and long-term perspective plans on a national scale, with a focus on off-shore survey and marine mineral investigation including polymetallic nodules, hydrothermal sulphides and cobalt-rich crusts leveraging the blue economy potential of the country.
2. To promote and enhance exploration and exploitation of non-living resources in the off-shore areas.
3. To review the work done so far relating to the activity domain of the committee including ongoing projects.
4. To provide concrete suggestions regarding the ongoing programs of GSI and other organizations in alignment with the plan objectives.
5. To recommend changes, if necessary, in priorities assigned to various items of work. The priorities and sharing of responsibilities between MoM and MoES have to be defined with respect to (i) systematic

seabed mapping and regional offshore mineral exploration in Exclusive Economic Zone (EEZ) including Contiguous zone (CZ) and Territorial water (TW) and also allocated deep sea areas as per mineralization and (ii) systematic seabed mapping of the extended EEZ in future.

6. To propose reclassification of offshore data generated by various organizations for data dissemination to various user agencies keeping in view the strategic and classified nature of the offshore data and to work out the modalities of exchanging the same amongst member organisations as well as in the public domain.

7. To prepare status papers, long /short term perspective plans and creating end users specifications in view of the new developments in NMP 2019 and Offshore Areas Mineral (Development & Regulation) Amendment Act, 2023.

8. To suggest collaborative programme between GSI and other member organisations and specialised institutions in India and abroad for development of knowledge in offshore survey and mineral exploration.

9. To advise on any matter of special significance relating to particular activity domain viz., coastal geoscience, geotechnical parameters, coastal environment assessment etc. as considered necessary by the Committee.

The Committee shall have the power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberation of the Committee.

COMMITTEE VII: Geoscience Survey & Mapping [Ground & Airborne]

Chairman: Dy. Director General & HoD, Mission MANTHAN, GSI, Remote Sensing and Aerial Survey (RSAS), Bengaluru

Member Secretary: Director, Policy Support System, Mission MANTHAN, GSI, RSAS, Bengaluru

Key objective: To oversee the development and implementation of advanced geological mapping techniques and technologies, viz. NAGMP, MT, DSRS, EM etc. in conjunction with other geoscience mapping techniques.

Members:

1. Director (Tech.), Ministry of Mines
2. Ministry of Defence
3. Indian Bureau of Mines (IBM)
4. DGM, Govt. of Madhya Pradesh
5. DG, Govt. of Odisha
6. DMG, Govt. of Rajasthan
7. DMG, Govt. of Andhra Pradesh
8. DMG, Govt. of Karnataka
9. DGM, Govt. of Chhattisgarh
10. DGM, Govt. of Maharashtra
11. CGM, Govt. of Gujarat
12. National Remote Sensing Centre (NRSC), ISRO
13. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
14. Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD)
15. Central Ground Water Board (CGWB)
16. Directorate General of Hydrocarbons (DGH)
17. National Geophysical Research Institute (NGRI)
18. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)

19. Uranium Corporation of India Limited (UCIL)
20. NMDC Limited
21. CMPDI Limited, Ranchi
22. Axiom Exploration Group Ltd.
23. Digital India Corporation (DIC)
24. National Mineral Exploration & Development Trust (NMEDT)
25. Dy. DG, Baseline Mapping and Research, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata
26. Dy. DG, Critical Minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, New Delhi
27. Dy. DG, Ferrous, Precious & other minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, New Delhi
28. Dy. DG, Baseline Mapping & Research, Mission MANTHAN, GSI (All Regions)
29. Dy. DG, Geophysics, Mission MANTHAN & AMRIT, GSI, Bengaluru
30. Director, PSS-1, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi

Permanent Invitees:

- i. Director General of Civil Aviation (DGCA)
- ii. Indian Institute of Remote Sensing (IIRS), Dehradun
- iii. Karnataka, Gujarat, Rajasthan State (Remote Sensing Centres)
- iv. IIT, Kharagpur
- v. IIT, Bombay
- vi. IISc, Bengaluru
- vii. Sander Geophysics India Private Limited
- viii. IIC Technologies Private Limited

TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE-VII (GEOSCIENCE SURVEY & MAPPING [GROUND & AIRBORNE]) OF THE CGPB

1. To conceptualize and formulate annual, short-term, and long-term plans for Geoscience Survey & Mapping on a national scale. The committee will propose, develop, monitor and review the following survey and mapping activities in the country:
 - A. Geological Map Updation: Update and enhance geological maps at various scale by integrating geophysical datasets with thorough field checks.
 - B. Multispectral and hyperspectral mapping
 - C. Isotope geological mapping in terrain scale.
 - D. Ground and Geophysical survey for 2D, 3D mapping using gravity, magnetic, MT, DSRS etc.
 - E. Predictive Geological Mapping: Focus on soil-covered areas utilizing geophysical, geochemical, and well data to predict subsurface geological features.
 - F. Aerogeophysical surveys utilizing cutting-edge technologies.
 - G. Drone-Based Surveys and mapping in suitable terrain.
2. To prepare a comprehensive Concept Document or Base Document that details methodologies and strategies for the above survey and mapping activities.

3. To review the annual achievements and work done by various organizations within the committee's activity domain. Ensure consistency with the priorities of the country.
4. To develop frameworks for collaboration among organizations to ensure efficient sharing of data and information, maximizing resource utilization.
5. To promote the dissemination of geoscientific data and maps in the public domain, adhering to national guidelines. Propose measures to ease restriction on data sharing.
6. To provide recommendations and advise the Government on matters related to geoscience surveys and mapping as deemed necessary by the committee.

The committee shall have the authority to co-opt other institutions or subject matter experts as invitees to ensure fruitful deliberations and informed decision-making.

COMMITTEE VIII: Geology & Mineral Resources of North Eastern Region

Chairman: Addl. Director General & HoD, GSI, North Eastern Region (NER), Shillong

Member Secretary: Director, PSS, GSI, NER, Shillong

Key objective: To harness the mineral potential of North Eastern Region and to monitor & co-ordinate all geosciences activity in NER

Members:

1. Director (Tech.), Ministry of Mines
2. NITI Aayog, Govt. of India (Advisor-Minerals)
3. Ministry of Earth Sciences (MoES)
4. Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEFCC)
5. Ministry of Development of North Eastern Region
6. Indian Bureau of Mines (IBM)
7. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)
8. Central Ground Water Board (CGWB)
9. Central Water Commission (CWC)
10. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
11. Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD)
12. DGM, Govt. of Arunachal Pradesh
13. DGM, Govt. of Assam
14. DCI, Govt. of Manipur
15. DMG, Govt. of Meghalaya
16. DGMR, Govt. of Mizoram
17. DGM, Govt. of Nagaland
18. DIC, Govt. of Tripura
19. DMMG, Govt. of Sikkim
20. Tata Steel
21. CMPDI Limited, Ranchi
22. National Mineral Exploration & Development Trust (NMEDT)
23. Dy. DG, Baseline Mapping and Research, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata

24. Dy. DG, Critical Minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, GSI, New Delhi
25. Dy. DG, Ferrous, Precious and Other Minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, GSI, New Delhi
26. Dy. DG & Head, NEnR, Mission AMRIT, GSI, CHQ, Kolkata
27. Dy. DG, NCEGR, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata
28. Dy. DG, Baseline Mapping & Research, Mission MANTHAN, GSI, NER, Shillong
29. Dy. DG, Mission AMRIT, GSI, NER, Shillong
30. Dy. DG, Geophysics, Mission MANTHAN & AMRIT, GSI, NER, Shillong
31. Dy. DG of State Units, GSI, NER; Director, PSS-2, GSI, CHQ, Kolkata; Director, PSS-4, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi

Permanent Invitees:

- i. North Eastern Council (Advisor, Minerals)
- ii. Brahmaputra Board
- iii. Border Road Organisation
- iv. Oil India Limited (OIL)
- v. NHPC Limited
- vi. NTPC Limited
- vii. North Eastern Electric Power Corporation Limited (NEEPCO)
- viii. North East Institute of Science & Technology (formerly RRL), Jorhat
- ix. Representative from Geology Dept., Nagaland University
- x. Representative from Geology Dept., Manipur University
- xi. Representative from Geology Dept., Gauhati University
- xii. Representative from Geology Dept., Dibrugarh University
- xiii. Representative from Geology Dept., Tezpur University
- xiv. Representative from Geology Dept., Assam University, Silchar
- xv. Representative from Geology Dept., Sikkim University, Gangtok
- xvi. North Eastern Hill University, Shillong
- xvii. IIT, Guwahati
- xviii. Lafarge India Pvt. Ltd.
- xix. North Eastern Frontier Railway
- xx. National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL)
- xxi. North Eastern Coal Limited (unit of CIL only)
- xxii. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
- xxiii. Coal India Limited
- xxiv. Star Cement

TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE-VIII (GEOLOGY & MINERAL RESOURCES OF NORTH EASTERN REGION) OF THE CGPB

1. To formulate annual as well as short-term & long-term plan for geological activities in NER.
2. The Committee to act as a common platform for all participants (Government, Public, Private, Universities, R&D institutions etc.) in the field of geosciences activity.
3. To promote and enhance geoscience activities including mineral exploration and exploitation for creating a more vibrant mineral sector in the region.
4. To monitor and co-ordinate all earth science related activity in NER by the different stake holders, both public and private, for mapping, exploration & exploitation of mineral resources.
5. To address all issues related to the fragile ecosystem of the Region in terms of both natural and anthropogenic hazards.
6. NER being the hydropower store house of the country with both public and private organisations engaged for its development, the Committee will act as a common platform to deliberate / resolve all issues particularly directed towards geological surprises and engineering solutions on water resource development.
7. To recommend changes, if necessary, in priorities assigned to various items of work.
8. To prepare status papers on various emergent issues, long / short term perspective plans.

The Committee shall have the power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberation of the Committee.

COMMITTEE IX: Geohazards & Disaster Risk Management

[Geotechnical Investigation, Natural Hazards, Climate Change, Environmental Geology, Polar studies, Subsurface Hydrology]

Chairman: Addl. Director General & HoD, GSI, Northern Region (NR), Lucknow

Member Secretary: Director, Policy Support System, GSI, NR, Lucknow

Key objective: Identify, assess and mitigate geological hazards such as earthquakes, landslides, GLOF, engineering and subsidence

Members:

1. Director (Tech.), Ministry of Mines
2. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC)
3. Ministry of Earth Sciences (MoES)
4. Ministry of Health and Family Welfare
5. National Remote Sensing Centre (NRSC), ISRO
6. DGM, Govt. of Jammu & Kashmir
7. Geological Wing, Department of Industries, Govt. of Himachal Pradesh
8. Geology & Mining Unit, Govt. of Uttarakhand
9. DGMs/DMGs of North Eastern States
10. DGM, Govt. of Uttar Pradesh
11. DGM, Govt. of Haryana
12. DGM, Govt. of Punjab
13. National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur
14. Central Ground Water Board (CGWB)

15. Dy. DG, Geohazards, Landslides, EQ & EG, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata
16. Dy. DG, NCEGR, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata
17. Dy. DG, Baseline Mapping & Research, Mission MANTHAN, GSI (All Regions)
18. Dy. DG, Landslides, EG, EQ & Geo-environment, Mission MANTHAN, GSI, NER, Shillong
19. Dy. DG, Centre for Advanced Studies on Himalayan Geology, Mission MANTHAN Lucknow
20. Dy. DGs, GSI associated with Geotechnical Investigation, Natural Hazards, Climate Change, Environmental Geology, Polar studies, Subsurface Hydrology; Director, PSS-4, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi

Permanent Invitees:

- i. National Disaster Management Authority, New Delhi
- ii. National Institute of Hydrology, Roorkee
- iii. Central Electricity Authority (CEA)
- iv. National Hydroelectric Power Corporation Limited
- v. National Water Development Agency (NWDA)
- vi. G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora
- vii. Central Pollution Control Board
- viii. Snow and Avalanche Study Establishment (SASE), Chandigarh
- ix. Institute of Seismological Research, Gandhinagar
- x. SDMA, Government of Jammu & Kashmir
- xi. SDMA, Government of Himachal Pradesh
- xii. SDMA, Government of Uttarakhand
- xiii. SDMA, Government of North-eastern States
- xiv. SDMA, Government of West Bengal
- xv. SDMA, Government of Tamil Nadu
- xvi. SDMA, Government of Kerala
- xvii. National Institute of Rock Mechanics (NIRM)
- xviii. National Geophysical Research Institute (NGRI)
- xix. Border Road Organisation (BRO)
- xx. Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi
- xxi. SDMA, Government of Uttar Pradesh
- xxii. Building Materials & Technology Promotion Council (BMTPC)
- xxiii. Ground Water Department, Govt. of Uttar Pradesh
- xxiv. National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR), Goa
- xxv. Wadia Institute of Himalayan Geology (WIHG), Dehradun
- xxvi. Indian Institute of Science and Research (IISER), Pune
- xxvii. Remote Sensing Applications Centre, Uttar Pradesh
- xxviii. Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Ltd (UJVN Ltd.)

- xxix. IMD, Mausam Bhawan, New Delhi
- xxx. Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun

TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE-IX (GEOHAZARDS & DISASTER RISK MANAGEMENT) OF THE CGPB

1. To identify, assess and mitigate geohazards such as earthquakes, landslides, GLOF, subsidence etc.
2. To formulate annual plan as well as short-term and long-term plan on a national scale.
3. To advise the Government from time to time on societal issues arising out of geohazards and to suggest probable preventive/mitigation measures including rehabilitation for disaster risk management.
4. To monitor and collect data systematically (where possible on a spatial basis) on a large number of parameters relating not only to landslides and earthquakes, but also other public health and public good issues having a geospatial dimension like Arsenic, Fluorine pollution, etc.
5. To review the work done by different organizations and to assess their proposals for future work and to identify the gap areas for future course of action in the geosciences domain under the purview of the committee.
6. Promoting use of the state-of-the-art and research in the geo-environmental and geohazard domain for effective management of the earth system and its resources.
7. To enable integration of relevant data sets including spatial data in order to help develop a GIS application for planning, management, prevention, etc. in respect of various geoscientific related events including geohazards.
8. To foster mutual interaction and collaboration among national organizations, with the aim of upgrading and modernizing the Forecasting Centre and Early Warning System, ensuring their effective implementation at the grassroots level to mitigate natural hazards.
9. To develop capacity building in all geohazards and disaster risk management.
10. To advise CGPB on any other urgent matter relating to the particular activity domain, as considered necessary by the Committee.
11. The Committee is empowered to convene meetings of smaller Groups on specialized subject matters with specific agenda.
12. To prepare SoPs on River erosion and dynamic studies, ground water contamination studies etc.

The Committee shall have the power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberation of the Committee.

COMMITTEE X: Geoscience Research & Innovation and Geoheritage

Chairman: Dy. Director General, NCEGR, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata

Member Secretary: Director, NCEGR, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata

Key objective:

- To promote research and innovation in geoscience and related fields with special emphasis on critical mineral system research.

- To provide for framing of the guidelines to identify, preserve, protect and maintain geo-heritage sites and geo-relics of national importance and suggest necessary modifications from time to time as per the procedures laid down by the Central Government.

Members:

1. Director (Tech.), Ministry of Mines
2. Dept. of Science and Technology (DST)
3. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
4. National Geophysical Research Institute (NGRI)
5. Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun
6. Indian Bureau of Mines (IBM)
7. Atomic Mineral Directorate of Exploration & Research (AMD)
8. Archaeological Survey of India
9. National Institute of Hydrology, Roorkee
10. DGM, Govt. of Rajasthan
11. DMG, Govt. of Andhra Pradesh
12. DGM, Govt. of Maharashtra
13. CGM, Govt. of Tamil Nadu
14. MRD, Govt. of Madhya Pradesh
15. DMG, Govt. of Karnataka
16. CGM, Gujarat
17. DGM, UT. Ladakh
18. Dy. DG, Baseline Mapping & Research, Mission MANTHAN GSI (All Regions)
19. Dy. DG, Centre for Advanced Studies on Himalayan Geology, Mission MANTHAN, GSI, Lucknow
20. Dy. DG, International Affairs & Curatorial Division, GSI, CHQ, Kolkata; Director, PSS-4, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI; Director, Geoheritage Cell, NCR, HQ, New Delhi and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi

Permanent Invitees:

- i. Representative of CSIR
- ii. Indian Meteorological Department, Delhi
- iii. Representative from Geology Dept., Punjab University
- iv. Representative from Geology Dept., Calcutta University
- v. Representative from Geology Dept., Anna University
- vi. Representative from Geology Dept., Jadavpur University
- vii. Representative from Geology Dept., Delhi University
- viii. Representative from Geology Dept., M.S. Baroda University
- ix. Representative from Geology Dept., Mysore University
- x. Representative from Geology Dept., Osmania University

- xi. Representative from Geology Dept., Dibrugarh University
- xii. Representative from Geology Dept., Gauhati University, Guwahati
- xiii. Representative from IITs, Kharagpur, Bombay, Roorkee, Guwahati, ISM-Dhanbad
- xiv. Representative from Centre for Earth Science Studies, Thiruvananthapuram
- xv. Representative from Defence Metallurgical Research Laboratory (DMRL, Hyderabad)
- xvi. Representative from National Centre of Experimental Mineralogy and Petrology, Allahabad
- xvii. Representative from Birbal Sahni Institute of Palaeosciences, Lucknow
- xviii. Representative of NEERI
- xix. Representative of CGWB
- xx. Representative of Zoological Survey of India
- xxi. Representative of Botanical Survey of India
- xxii. Representative from Geology Dept., Pondicherry University
- xxiii. Representative of National Institute of Oceanography
- xxiv. Representative from Dept. of Geology, Savitribai Phule University, Pune
- xxv. Representative from Earth Sciences IISER Kolkata
- xxvi. Representative from Geological Studies Unit Indian Statistical Institute
- xxvii. Hindustan Zinc Limited (HZL)
- xxviii. Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre (JNARDDC)
- xxix. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)
- xxx. SBI Caps

TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE-X (GEOSCIENCE RESEARCH & INNOVATION AND GEOHERITAGE) OF THE CGPB

Geoscience Research & Innovation:

1. To promote research and innovation in geoscience and related fields with special emphasis on critical mineral system research.
2. To encourage better understanding of geological process in the crust and lithosphere, evolution of earth, localization of minerals, etc.
3. To review the state of education in Geoscience and make recommendations to improve the quality of geoscientific education particularly at higher levels in order to improve the pool of geoscience talent.
4. To review policy relating to Geoscientific research and make recommendations for improving research infrastructure, funding etc; and ensure better mutual coordination between field practices and geoscience research.
5. To continuously review global technological advancements in instrumentation (analytical and scientific) and methodologies and recommend state-of-the-art techniques to be adopted, in order to modernize the laboratories, to bring these at par with international standards.
6. To facilitate and coordinate sharing of laboratory facilities available with different organizations for optimum use.

7. To promote R&D work for evolving new and efficient techniques in the mineral exploration and mining, for locating new mineral resources, value addition, maximising utilization and conservation of existing natural resources.
8. Participation of different organisations in preparation of Standard Reference Material.
9. To help improve the geoscientific knowledge within the States and Central Institutions by training or other knowledge acquisition measures for the existing personnel both in field and laboratory techniques and to suggest knowledge sets of personnel for the future.
10. To focus on the long- and short-term activity domains and working plans of different organizations.
11. Collection, maintenance, preservation and documentation of earth science samples for curatorial, geological and chemical studies and for exhibition and display purposes.

Geoheritage:

12. Preparation of Standard Operating Procedure (SOP) for identification and declaration, classification of Geoheritage and geotourism sites.
13. Re-assessment of the existing sites or a group of sites in terms of their development for geotourism / geopark.
14. To suggest measures for preservation and maintenance of geo-relics of national importance.
15. To promote and spread awareness among the public about Geoheritage and geotourism sites, encouraging appreciation and conservation.
16. To provide capacity building in identification, preservation, protection and maintenance of geoheritage sites.

The Committee shall have the power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberation of the Committee.

COMMITTEE XI: Geo-data Repository, Digital Infrastructure and AI in Geosciences

Chairman: Dy. Director General, IT Infrastructure & Services, GSI, CHQ, Kolkata

Member Secretary: Director (TC), IT Infrastructure & Services, GSI, CHQ, Kolkata

Key objective: To ensure efficient data collection, management, and sharing among stakeholders' inter-operable geological databases and promote digital transformation in geoscience research. To leverage the baseline geoscience data, machine learning, and AI for predictive mineral exploration and geological surveys.

Members:

1. Director (Tech.), Ministry of Mines
2. NITI Aayog
3. Indian Bureau of Mines (IBM)
4. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)
5. Ministry of Earth Sciences (MoES)
6. Ministry of Electronics and Information Technology (MEITY)
7. Department of Science & Technology (DST) (dealing with geospatial policies and issues)

8. Department of Land Resources
9. Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD)
10. Directorate of Geology and Mining of all States and Union Territories
11. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
12. Directorate General of Hydrocarbons (DGH)
13. Bhaskaracharya Institute for Space Applications and Geoinformatics (BISAG-N)
14. Survey of India (SOI)
15. National Remote Sensing Centre (NRSC)
16. National Geophysical Research Institute (NGRI)
17. Central Ground Water Board (CGWB)
18. Dy. DG, Baseline Mapping and Research, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata
19. Dy. DG, Data Science, Analytics & Publications, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata
20. Dy. DG, Critical Minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, GSI, New Delhi
21. Dy. DG, Ferrous, Precious & Other Minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, GSI, New Delhi
22. Dy. DG, NCEGR, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata
23. Dy. DG & HoD, RSAS, Mission MANTHAN, GSI, Bengaluru
24. Director PSS-3, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi

Permanent Invitees:

- i. DDG (NIC)
- ii. Technical Director (NIC), Ministry of Mines
- iii. One representative of each State to be nominated by Secretary (Information Technology) of the State
- iv. National Spatial Data Infrastructure (NSDI)
- v. National Geospatial Programme (erstwhile NRDMS)
- vi. India Meteorological Department (IMD)
- vii. National Disaster Management Authority (NDMA)
- viii. Maharashtra Remote Sensing Application Centre (MRSAC)
- ix. Karnataka State Remote Sensing Applications Centre (KSRSAC)

TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE-XI (GEO-DATA REPOSITORY, DIGITAL INFRASTRUCTURE AND AI IN GEOSCIENCES) OF THE CGPB

1. To ensure efficient data collection, management, and sharing among stakeholders' inter-operable geological databases and promote digital transformation in geoscience research.
2. To promote use of latest Information and Communication Technology in geosciences activity, develop Geo-data Repository with a strong spatial and attribute database.
3. To facilitate coordination among geoscientific agencies to develop common standards and sharable databases under the NSDI architecture and in line with the directives of Geospatial Data Promotion

and Development Committee (GDPDC) from time to time; and encourage wide and easy dissemination of geoscientific information through internet-based technologies.

4. To enhance the usability of National Geoscience Data Repository (NGDR) portal by constant upgradation and mandatory submission of exploration related geoscientific reports/ data by all the stakeholder organisations.
5. To develop Application Programming Interface (API) for sharing of data across all stakeholders.
6. To enhance Mineral Prospectivity Mapping using geostatistical methods, leveraging the baseline geoscience data, machine learning, and AI for predictive mineral exploration and geological surveys aimed at optimizing efforts of mineral exploration programs across the country.
7. To coordinate with Mining Tenement & Registry System developed by IBM.
8. To formulate policy and advice CGPB for providing access to quality and unique geospatial and non-spatial data.
9. To develop new methodologies for sophisticated management of data through the use of domain enriched software to produce 3D and modelling outputs.
10. To review the work done so far relating to the activity domain of the Committee, with reference to GSI portal.

The Committee shall have the power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberations of the Committee.

FARIDA M. NAIK, Jt. Secy.